

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-242

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति

*242. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

श्री गौतम सिगामणि पोन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के अंतर्गत कर्नाटक सहित देश में सभी गरीब परिवारों को बिजली की आपूर्ति करने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सौभाग्य के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं और इसमें किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है तथा कर्नाटक में जिले-वार सहित देश के शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सहित श्रेणी-वार देश में बिजली की सुविधा प्रदान किए गए परिवारों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संख्या कितनी है;
- (ङ) क्या सरकार ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा कर घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की थी।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले अभिचिह्नित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की सूचना दी। सौभाग्य की शुरुआत से, 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घर विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। सौभाग्य योजना की शुरुआत से कर्नाटक सहित घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सामना की गई चुनौतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- i) घर दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं
- ii) दुर्गम एवं पहाड़ी इलाका, खराब मौसम, नदीबहुल/दलदल/बर्फीले क्षेत्र
- iii) पोर्टरों, हैली कॉप्टरों, बांस के पुलों, राफ्ट्स, नावों आदि से सामग्री की ढुलाई
- iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवादियों के कारण कुछ बाधाओं का सामना किया गया था।
- v) मंजूरी तथा मार्गाधिकार मुद्दे।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण करने के लिए 03 दिसंबर, 2014 को 'एकीकृत विद्युत विकास स्कीम' (आईपीडीएस) शुरू की। आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) स्कीम को आगे बढ़ाया गया और आईपीडीएस के अंतर्गत विलय कर दिया गया। आईपीडीएस के अंतर्गत सृजित राज्य-वार अवसंरचना का ब्यौरा **अनुबंध-II (क) और अनुबंध-II (ख)** पर दिया गया है।

आईपीडीएस के अंतर्गत सर्किल-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई थी और तदनुसार प्रत्येक सर्किल के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। कर्नाटक राज्य में आईपीडीएस के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं का सर्किल-वार और जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

(घ) से (च) : सभी राज्यों ने 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरुआत से, 31.03.2021 तक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के घरों सहित कुल 2.817 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए हैं। सौभाग्य योजना की शुरुआत से घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम को सभी इच्छुक घरों को विद्युत के साथ जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सौभाग्य के अंतर्गत सभी राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

अनुबंध-1

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य योजना आरंभ होने के बाद से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	31.03.2021 तक कुल घरों का विद्युतीकृत
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149
4	बिहार	32,59,041		32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791
6	गुजरात	41,317		41,317
7	हरियाणा	54,681		54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045		3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798
12	लद्दाख	10,456		10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839		1,99,839
17	मिजोरम	27,970		27,970
18	नागालैंड	1,32,507		1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444		24,52,444
20	पुद्दुचेरी	912		912
21	पंजाब	3,477		3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522
23	सिक्किम	14,900		14,900
24	तमिलनाडु	2,170		2,170
25	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत सृजित राज्य-वार आधारभूत अवसंरचना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस/एस-नए (संख्या)		एस/एस-संवर्धन (संख्या)		डीटीआर (संख्या)		एलटी लाइनें (सीकेएम)		एचटी लाइनें (सीकेएम)		उपभोक्ता मीटर (संख्या)		डीटी मीटर (संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	104	104	96	96	2856	2856	384.44	384.44	981.56	981.56	373958	373958	7104	7104
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	470	457	233.5	227.48	312.38	289	0	0	0	0
4	असम	13	13	39	39	686	686	179.84	179.84	635	569	66782	66782	1005	1005
5	बिहार	68	55	156	147	5306	4724	40.09	10.09	2058	1726	258337	247310	4792	4792
6	छत्तीसगढ़	32	32	65	64	1737	1559	120.95	94	1017	886	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129551	129551	0	0
10	गुजरात	19	19	55	55	6111	6111	98.2	98.2	538.91	538.91	876402	876402	11533	11533
11	हरियाणा	5	4	5	5	1000	1000	47.74	39.06	304	280	6640	6640		
12	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	2	390	390	99	66	104.38	81.43	46000	43379	747	745
13	जम्मू एवं कश्मीर	18	7	44	43	911	655	55.11	31.13	216.98	101	0	0	1721	1012
14	झारखंड	26	23	44	41	1640	1579	0	0	539	525	61892	55562		
15	कर्नाटक	7	7	2	2	3899	3899	456.91	456.91	949.54	949.54	616789	616789	681	681
16	केरल	3	3	12	12	885	885	199	199	443.59	443.59	646373	646368	4124	4124
17	लद्दाख	0	0	4	4	82	39	0	0	10.36	3.71	0	0	108	39
18	मध्य प्रदेश	58	58	133	133	4390	4390	1444.07	1444.07	2023.23	2023.2	539467	539467	6558	6558
19	महाराष्ट्र	115	112	114	113	5070	4848	1230.09	906.01	1818.12	1334.2	749565	749565	0	0
20	मणिपुर	4	2	2	2	193	89	0	0	164.67	66.93	57	12	522	130
21	मेघालय	6	6	2	2	53	53	60	60	92.81	92.81	0	0	0	0
22	मिजोरम	2	2	2	2	55	55	136	136	134.67	134.67	3800	3800	0	0
23	नागालैंड	1	1	1	1	121	121	95	95	131.45	131.45	59000	59000	648	648
24	ओडिशा	14	11	104	87	2032	1874	0	0	729	519	333193	215655	2802	1918
25	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	50	36	0	0	8.87	0	35000	34235	0	0
26	पंजाब	0	0	0	0	1616	1616	51.05	34.04	504.88	449	17236	15857	3884	3881
27	राजस्थान	126	126	186	186	2173	2173	91.53	91.53	711.76	711.76	18712	18712	0	0
28	सिक्किम	1		3	0	39	20	36.5	13.05	32.5	5	234	36	393	337
29	तमिलनाडु	68	68	41	41	1094	1094	1747.33	1747.33	4266.03	4266	2516056	2516056	46000	46000
30	तेलंगाना	54	54	54	54	4284	4284	1634	1634	853	853	230315	230315	1933	1933
31	त्रिपुरा	6	2	1	1	437	433	10.5	10.5	40	40	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	196	196	242	242	7860	7844	2338	2235	3724	3664	277470	260014	5664	5599
33	उत्तराखंड	1	1	37	37	293	291	0	0	174.39	174.39	39891	34762	972	972
34	पश्चिम बंगाल	50	50	166	166	4553	4126	22.64	8.22	1241.34	1105.8	7,55,497	7,19,596	2816	1336
	कुल योग	999	957	1612	1577	60286	58187	10811.5	10200.9	24761.4	22946	7902720	7740227	104007	100347

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फीडर मीटर (संख्या)		एबीसी (सीकेएम)		यूजीसी (सीकेएम)		प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की (संख्या)		प्रीपेड मीटरों की (संख्या)		उदय भाग लेने वाले राज्यों के लिए स्मार्ट मीटरों की (संख्या)		सौर पेनल्स (केडब्ल्यूपी)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	36800	32683	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	134	134	265.77	265.77	39.31	39.31	0	0	0	0	0	0	2592	2592
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	66.56	38	3.55	2.58	0	0	0	0	0	0	33	24
4	असम	269	269	2486.9	2430.28	5.41	4.55	0	0	2553	2553	0	0	604	604
5	बिहार	611	542	8706	7856	620	493	0	0	300	0	785300	147418	1694	1653
6	छत्तीसगढ़	0	0	3059.5	2535	43.6	43.3	0	0	45	0	0	0	155	40
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410
10	गुजरात	0	0	5300.2	5300.17	2087.83	2087.83	0	0	0	0	0	0	1126.93	1126.9
11	हरियाणा	0	0	1069	1052.93	282	280	0	0	0	0	0	0	423	423
12	हिमाचल प्रदेश	27	18	424.4	386.17	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1112.4	1106.7
13	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	1245.4	724	1.32	0	0	0	0	0	0	0	295	235
14	झारखंड	0	0	2179	2095	136	126	0	0	0	0	0	0	311	306
15	कर्नाटक	0	0	2067.8	2067.75	1300.12	1300.12	0	0	0	0	0	0	8318	8318
16	केरल	129	129	1188.3	1188.34	211	210.94	800	800	700	700	0	0	4960	4960
17	लद्दाख	0	0	52.07	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
18	मध्य प्रदेश	24	24	3470.8	3470.79	10.29	9.29	118836	118836	0	0	350000	38139	472	467
19	महाराष्ट्र	459	459	2160.4	2065.53	4641	4324	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मणिपुर	0	0	961.96	428.88	0	0	0	0	35451	35409	0	0	230	0
21	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	6400	6400	0	0	210	210
22	मिजोरम	45	45	91.2	91.2	0	0	0	0			0	0	21	21
23	नागालैंड	31	31	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	20	20
24	ओडिशा	282	84	3414	3135	30.77	18.4	0	0	0	0	0	0	645	445
25	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	17.27	6.33	0	0	0	0	0	0	240	100
26	पंजाब	0	0	412.57	311	0	0	0	0	547	0	96000	887	380	374.75
27	राजस्थान	103	103	84.61	84.61	2627.02	2627.02	0	0	0	0	569768	44592	388	388
28	सिक्किम	85	85	35.23	21	91	47	0	0	26951	0	0	0	400	345
29	तमिलनाडु	1206	1206	152.69	152.69	1746.79	1746.79	0	0	0	0	0	0	2082	2082
30	तेलंगाना	281	281	352	352	216	216	0	0	6375	6375	0	0	2521	2521
31	त्रिपुरा	66	64	365	335	218.25	218.25	0	0	22500	22500	0	0	31	31
32	उत्तर प्रदेश	306	303	9923	9730	4245	4125	0	0	0	0	0	0	10222	10066
33	उत्तराखंड	181	181	680.27	680.27	450.52	451	0	0	0	0	0	0	2735	2735
34	पश्चिम बंगाल	96	96	14877	14087	1267	1234	0	0	0	0	0	0	4060	3840
कुल योग		4335	4054	65070	60897.4	20291.6	19610.7	156436	152319	120822	92937	1801068	231036	46696.3	45444

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

कर्नाटक में आईपीडीएस का कार्यान्वयन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	सर्किल का नाम	शामिल किए गए नगर	शामिल किए गए नगर	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार से अनुदान अनुमोदित	भारत सरकार ने अनुदान जारी किया
1	मंगलुरु	8	मंगलुरु, उल्लाला, मूडबिद्रे, मुल्की, बंटवाला, बेलथांगडी, पुत्तूर, सुलिया	73.07	43.84	39.65
2	शिवमोगा	9	शिमोगा, भद्रावथ, सागर, शिकारीपुरा, होसानगर, तीर्थहल्ली, सोराब, शिरलकोप्पा, जोग-करगल	42.1	25.26	25.26
3	उडुपी	5	उडुपी, करकला, शालिग्राम, कुंदपुरा, कौपी	26.48	15.89	20.11
4	चिकमगलूर	8	चिकमगलूर, मुदिगेरे, कोप्पा, एन.आर.पुरा, श्रृंगेरी, कदुर, बिरूर, तारिकेरे	25.95	15.57	15.57
5	मांड्या सर्किल	7	मांड्या, मददुर, मालवल्ली, पांडवपुरा, श्रीरंगपटना, कृष्णराजपेट, नागमंगला	43.35	26.01	21.45
6	मैसूर ओ एंड एम सर्किल	9	चामराजनगर, कोल्लेगला, मदिकेरी, गुंडलुपेट, हनुरु, यल्लैडुरु, सोमवरपेट, विराजपेट, कुशलनगर	40.14	24.08	21.11
7	ओ एंड एम सर्किल हसन	8	हसन, अर्सिकेरे, चनारायपटना, अलूर, बेलूर, एस.के. पुरा, एच.एन. पुरा, अरकलागुडी	42.73	25.64	21.6
8	सिटी वर्क्स सर्किल मैसूर	9	मैसूर, नंजनगुड, टी. नरसीपुरा, बन्नूर, हुनसुर, के.आर.नगर, पेरियापटना, एच.डी.कोटे, सरगुरु	51.95	31.17	22.45
9	बीदर सर्किल	6	बसवकल्याण, भालकी, औराद, बीदर, होम्नाबाद, चितगोप्पा	43.89	26.33	23.7
10	कलबुर्गी सर्किल	15	अलंद, अफजलपुर, गुलबर्गा, चिंचोली, सेदाम, चीतापुर, शाहाबादएसीसी, शाहाबाद, वाडी, जेवर्गी, शोरापुर, बी.गुडी, शाहीमाचलूर, गुरमतकल, यादगीर	50.53	30.32	27.28
11	रायचूर सर्किल	11	मुद्गल, लिंगसुगुर, हट्टी गोल्ड, देवदुर्गा, रायचूर, मानवी, सिद्धनूर, येलबर्गा, कुशतगी, गंगावती, कोप्पल	41.99	25.19	22.67
12	बेल्लारी ओ एंड एम सर्किल	10	हूविना हडगल्ली, होस्पेट, कमलापुरम, कांपली, सिरुगुप्पा, तेक्कलकोट, बेल्लारी, संदूर, कुडलीगी, कोट्टुरु	47	28.2	28.2

13	कोलार सर्किल	12	कोलार, केजीएफ (रॉबर्टसन पालतू), बंगारपेट, मुलबगल, चिकबल्लारपुर, गौरीबिदनूर, चिंतामणि, सिदलगटा, श्रीनिवासपुरा, मलूर, गुडीबंदे, बागपल्ली,	52.02	31.21	28.09
14	बंगलौर ग्रामीण सर्किल	5	डोडबल्लारपुरा, होसाकोटे, देवनहल्ली, नीलमंगला, विजयपुरा	10.01	6	5.41
15	रामनगर	5	अनेकल, रामनगर, चनपटन्ना, कनकपुरा, मगदी	41.99	25.19	22.67
16	दावणगेरे	12	दावणगेरे, हरिहर, हरपनहल्ली, चित्रदुर्ग, हिरियुर, चलकेरे, होन्नाली, जगलुर, चन्नगिरी, होलारकेरे, होसदुर्गा, मोलाकलमुरु	102.11	61.27	55.14
17	तुमकुर	10	तुमकुर, कुनिगल, तिप्तूर, सीरा, गुब्बी, तुरुवक्केरे, चिकनकंगनहल्ली, मधुगिरी, पावागड़ा, कोर्तगेरे	51	30.6	27.54
18	बैंगलोर जोन	1	बैंगलोर जोन	200.03	120.02	107.81
19	हुबली ओ एंड एम सर्कल	15	हुबली-धारवाड़, अलनावर, नवलगुंड, अनीगेरी, कलघाटगी, कुंडगोल, नरगुंड, रॉन, गजेंद्रगढ़, नरेगाल, गडग-बेट्टीगेरी, मुलगुंड, शिरहट्टी, लक्ष्मेश्वर, मुंदरगी	47.44	28.46	25.62
20	हावेरी ओ एंड एम सर्कल	8	शिगगांव, बांकापुरा, सावनूर, हंगल, हावेरी, ब्यादगी, हिरेकेरूर, रानीबेन्नूर।	21.07	12.64	12.64
21	सिरसी ओ एंड एम सर्कल	11	दांदेली, कारवार, हलियाल, येल्लापुर, मुंडगोड, सिरसी, अंकोला, कुमता, सिद्दापुर, होनावर, भटकल	9.49	5.69	5.69
22	बेलगावी ओ एंड एम सर्कल	8	मुदलागी, कोन्नूर, गोकक, बेलगाम, खानापुर, बेल हॉंगल, सौंदती-येलामा, रामदुर्ग	63.71	38.23	34.39
23	चिक्कोडी ओ एंड एम सर्कल	6	निप्पनी, सदालगी, चिक्कोडी, अथानी, कुदाची, रायबाग	9	5.4	5.4
24	विजयपुरा ओ एंड एम सर्कल	13	बीजापुर, इंडी, सिंदागी, बसवन्ना-बगेवाड़ी, मुददेबिहाल, तालिकोटा, कोल्हार, निदागुंडी, मनागुली, नलतावाड़, हिप्पार्गी, अल्मेल, चडचन	31.21	18.73	18.73
25	बागलकोट ओ एंड एम सर्कल	12	महालिंगपुर, तेरदल, जामखंडी, रबकवि बनहट्टी, बिल्गी, मुधोल, केरूर, बादामी, गुलेदगुड्डा, बागलकोट, हुंगुंड, इलकल	23.43	14.06	14.06
कुल		223		1191.69	715	668.34
आईपीडीएस पीएमए अनुदान				5.97	5.97	4.78
कुल योग		223		1197.66	720.97	673.12

कर्नाटक में आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत कार्यान्वयन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना	संस्वीकृत लागत	भारत सरकार से ऋण स्वीकृति	भारत सरकार द्वारा ऋण संवितरण	स्थिति/भौतिक प्रगति
01.	भाग क (आईटी)	404	404	403	98 नगरों का आईटी सक्षमीकरण पूरा; वित्तीय समापन हो गया
02.	भाग ख	618	155	188	81 नगरों में भाग-ख का काम पूरा, वित्तीय समापन हो गया
कुल		1022	559	591	

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाओं को नगर-वार स्वीकृत किया गया है, तदनुसार भाग क (आईटी) और भाग ख की वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

भाग क (आईटी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	नगर/परियोजना	भारत सरकार से ऋण स्वीकृति (अंतिम)	भारत सरकार द्वारा ऋण संवितरण
1	अनेकाल	1.07	1.07
2	बैंगलोर	215.20	214.55
3	बांगरपेट	0.66	0.73
4	चल्लकेरा	0.82	0.89
5	चन्नापटना	0.98	1.05
6	चिंतामणि	1.00	1.00
7	चित्रदुर्ग	1.61	1.61
8	दावणगेरे	3.44	3.44
9	दबपुरा	0.99	1.13
10	गौरीबिडानोर	0.71	0.72
11	हरिहर:	1.01	1.01
12	हरपनाहल्ली	0.80	0.80
13	हिरियुर	1.00	1.00
14	होसकोटे	0.70	0.79
15	कनकपुरा	0.61	0.67
16	कोलार	1.50	1.50
17	कुनिगाली	0.85	0.85
18	मुल्बगल	0.60	0.60
19	रामनगर	1.13	1.20
20	रॉबर्टसन	1.45	1.45
21	शिंडलगट्टा	0.68	0.68

22	सिरा	0.64	0.70
23	तिप्तूर	1.29	1.29
24	तुमकुर	3.36	3.36
25	चिकबल्लपुर	1.21	1.21
26	अरासिकेरे	1.23	1.23
27	सी आर पटना	1.16	1.16
28	चामराजनगर	1.37	1.37
29	हसन	2.85	2.85
30	हन्सुर	1.10	1.10
31	के आर नगर	0.81	0.81
32	कोल्लेगल	1.10	1.10
33	मालवल्ली	0.97	0.97
34	मंड्या	2.91	2.91
35	मदीकेरी	1.28	1.28
36	मैसूर	13.52	13.52
37	नंजनगुडी	1.11	1.11
38	अलंद	0.86	0.86
39	बेल्लारी	3.59	3.59
40	भालकी	0.86	0.86
41	बीदरी	2.21	2.33
42	गुलबर्गा	7.64	7.52
43	हुमनाबाद	1.07	1.07
44	कोप्पल	1.92	1.92
45	मानवी	0.99	0.99
46	रायचुर	2.89	2.89
47	सदाम	0.85	0.85
48	साहपुर	1.02	1.02
49	शोरापुर	0.96	0.96
50	सिंधानुर	1.14	1.14
51	सीरूगुप्पा	0.98	0.98
52	यादगीर	1.52	1.52
53	बसवकल्याण	1.08	1.08
54	गंगावती	1.31	1.31
55	होसपेट	2.42	2.42
56	कांपली	0.89	0.89
57	शाहाबाद	1.07	1.07
58	वाडी	0.77	0.77
59	अथानी	1.33	1.31
60	बागलकोट	2.93	2.90
61	बैलहोनहाली	1.41	1.39
62	बेलगाम	8.30	8.20

63	भटकली	1.16	1.15
64	बीजापुर	5.87	5.81
65	चिक्कोडी	1.29	1.28
66	दांदेली	0.97	0.95
67	गदग	2.48	2.45
68	गोकक	1.69	1.68
69	गुलेदगुड्डो	0.89	0.88
70	हावेरी	1.77	1.75
71	हबली, धारवाड	15.58	15.40
72	इलकल	1.28	1.27
73	इंडी	1.12	1.11
74	जमाखंडी	1.36	1.35
75	कारवार	1.72	1.71
76	कुमटा	1.17	1.16
77	लक्ष्मेश्वर	0.88	0.87
78	महालिंगपुर	0.77	0.76
79	मुधोलो	1.36	1.35
80	नरगुंडा	0.78	0.77
81	निप्पनी	1.15	1.13
82	रबाकवि-बनहट्टी	1.52	1.50
83	रामदुर्ग	0.85	0.84
84	रानेबेन्नुर	1.88	1.86
85	सौदती	0.91	0.90
86	सवनूर	0.81	0.80
87	सिरसी	1.56	1.54
88	कडुर	1.09	1.09
89	मंगलौर	10.66	10.66
90	शिकारीपुरा	1.12	1.12
91	तरिकेर	0.78	0.78
92	बंतवाला	1.58	1.58
93	भद्रावती	1.95	1.95
94	चिक्कमगलुर	2.00	2.00
95	पुन्नूर	1.65	1.65
96	सगर	1.27	1.27
97	शिमोगा	4.40	4.40
98	उडुपी	4.12	4.12
		404.17	403.44

भाग ख परियोजनाओं का कार्यान्वयन

क्रम सं.	नगर/परियोजना	अनुमोदित परियोजना लागत (रिपोर्ट)	भारत सरकार से ऋण स्वीकृत (रिपोर्ट)	भारत सरकार द्वारा ऋण संवितरण
1	अनेकाल	9.23	2.31	2.31
2	बांगरपेट	5.54	1.39	1.39
3	चल्लकेरा	2.73	0.68	0.68
4	चन्नापटना	6.12	1.53	1.53
5	चिंतामणि	6.93	1.73	1.73
6	चित्रदुर्ग	15.82	3.96	3.96
7	दावनगेरे	49.89	12.47	12.47
8	डोड्डाबल्लापुरा	10.80	2.70	2.70
9	गौरीबिदानुर	5.36	1.34	1.34
10	हरिहर:	9.15	2.29	2.29
11	हरपनाहल्ली	2.93	0.73	0.73
12	हिरियूर	3.10	0.78	0.78
13	होसकोटे	4.92	1.23	1.23
14	कनकपुरा	3.89	0.97	0.97
15	कोलार	8.94	2.24	2.24
16	कुनिगाली	2.65	0.66	0.66
17	मुलबागिलु	3.89	0.97	0.97
18	रामनगर:	10.62	2.66	2.66
19	रॉबर्टसनपेट/किया	11.58	2.90	2.90
20	सिद्दलाघट्टा	5.06	1.27	1.27
21	सिरा	4.00	1.00	1.00
22	तिप्पूर	6.37	1.59	1.59
23	तुमकूर	38.82	9.71	9.71
24	चिकबलपुर	6.60	1.65	1.65
25	अरासिकेरे	3.62	0.91	0.91
26	सी आर पटना	2.92	0.73	0.73
27	चामराजनगर	4.02	1.01	1.01
28	हसन	7.91	1.98	1.98
29	हन्सूर	1.44	0.36	0.37
30	के आर नगर	2.19	0.55	0.56
31	कोल्लेगल	3.05	0.76	0.76
32	मालवल्ली	2.14	0.54	0.54
33	मंड्या	4.67	1.17	1.17
34	मादीकेरी	4.13	1.03	1.03
35	मैसूर	128.35	32.09	32.07
36	नंजनगुडी	4.05	1.01	1.01
37	भूमि	3.61	0.90	0.90
38	बेल्लारी	14.44	3.61	3.61
39	भालकी	6.37	1.59	1.59
40	बीदरी	17.37	4.34	4.34
41	गुलबर्गा	26.43	6.61	6.60
42	ह्नुबाद	4.31	1.08	1.08
43	कोप्पल	2.83	0.71	0.71
44	मानवी	4.67	1.17	1.17

45	रायचुर	15.54	3.88	3.88
46	सेडाम	3.90	0.98	0.98
47	शाहपुरी	6.78	1.70	1.70
48	शोरापुर	4.15	1.04	1.04
49	सिंधनूर	4.54	1.13	1.13
50	सिरूगुप्पा	3.04	0.76	0.76
51	यादगिरो	10.75	2.69	2.69
52	बसवकल्याण	5.83	1.46	1.46
53	गंगावती	6.24	1.56	1.56
54	होसपेट	13.79	3.45	3.45
55	कांपली	2.50	0.63	0.63
56	शाहाबाद	4.66	1.17	1.17
57	वाडी	3.70	0.93	0.93
58	अथानी	1.36	0.34	0.37
59	बागलकोट#	0.00	0.00	0.95
60	बईलहोंगल	0.37	0.09	0.39
61	बेलगाम#	0.00	0.00	8.58
62	भाटकली	2.73	0.68	0.88
63	बीजापुर	3.79	0.95	4.49
64	चिक्कोडी	0.94	0.24	0.35
65	दांदेलीक	4.87	1.22	1.22
66	धारवाड़#	0.00	0.00	2.52
67	गदग	5.24	1.31	1.86
68	गोकक	1.04	0.26	0.60
69	गुलेदगुड्डो	1.33	0.33	0.33
70	हावेरी#	0.00	0.00	0.51
71	हबली#	0.00	0.00	11.15
72	इल्कल#	0.00	0.00	0.65
73	इंडी	1.13	0.28	0.28
74	जमाखंडी	0.74	0.19	1.06
75	कारवार	4.46	1.11	0.89
76	कुमटा	3.79	0.95	0.95
77	लक्ष्मेश्वर	1.26	0.32	0.32
78	महालिंगपुर	0.41	0.10	0.30
79	मुधोलो	0.94	0.23	0.64
80	नरगुंडी	2.09	0.52	0.67
81	निप्पनी	1.80	0.45	0.92
82	रबाकवि -बनहट्टी	2.36	0.59	1.09
83	रामदुर्ग	0.58	0.14	0.53
84	रान्नेबेन्नूर	2.00	0.50	1.01
85	सौदती	0.75	0.19	0.75
86	सवनूर	0.78	0.20	0.20
87	सिरसी	4.40	1.10	1.10
		618.03	154.50	187.79
#संचालन/निगरानी समिति द्वारा रद्द किए गए नगर				
हेस्कॉम, कर्नाटक के आर-एपीडीआरपी के भाग ख परियोजना के लिए वितरित भारत सरकार का ऋण, तदन्तर निरस्तीकरण/अनुमोदित लागत में कमी के निमित्त भारत सरकार की निधियों की वसूलियों (33.27 करोड़ रुपये) की भरपाई के बिना वास्तविक संवितरण है।				

अनुबंध-IV

"सौभाग्य के अंतर्गत गरीब परिवारों को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य योजना आरंभ होने के बाद से घरों का राज्य-वार और वर्ष-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से घरों का विद्युतीकरण				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	81,949	99,981	0		181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	0	47,089	0		47,089
3	असम	110,836	1,634,313	197,807	2,193	1,945,149
4	बिहार	449,016	2,810,025	0		3,259,041
5	छत्तीसगढ़	155,490	593,907	29,534	10,860	789,791
6	गुजरात	15,748	25,569	0		41,317
7	हरियाणा	3,497	51,184	0		54,681
8	हिमाचल प्रदेश	1,943	10,948	0		12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	387,501	0		387,501
10	झारखंड	125,389	1,405,319	131,880	68,120	1,730,708
11	कर्नाटक	59,709	297,265	26,824		383,798
12	मध्य प्रदेश	1,149,748	834,516	0		1,984,264
13	महाराष्ट्र	182,896	1,335,026	0		1,517,922
14	मणिपुर	746	102,002	5,367		108,115
15	मेघालय	0	199,839	0		199,839
16	मिजोरम	0	27,970	0		27,970
17	नागालैंड	473	132,034	0		132,507
18	ओडिशा	135,348	2,317,096	0		2,452,444
19	पुद्दुचेरी	0	912	0		912
20	पंजाब	0	3,477	0		3,477
21	राजस्थान	212,555	1,650,181	212,786		2,075,522
22	सिक्किम	0	14,900	0		14,900
23	तमिलनाडु	2,170	0	0		2,170
24	तेलंगाना	23,803	491,281	0		515,084
25	त्रिपुरा	1,882	137,208	0		139,090
26	उत्तर प्रदेश	1,133,002	6,847,566	788,083	411,920	9,180,571
27	उत्तराखंड	4,960	243,791	0		248,751
28	पश्चिम बंगाल	194,153	538,137	0		732,290
	कुल	4,045,313	22,239,037	1,392,281	493,093	28,169,724

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-251

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय की गई निधियां

*251. श्री सुरेश पुजारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर एनटीपीसी की लारा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के उपरांत ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा के लखनपुर ब्लॉक के राज्यक्षेत्र में परियोजना से कितने प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुआ है;
- (ख) एनटीपीसी, लारा द्वारा अब तक सामाजिक निगमित दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय की गई कुल धनराशि कितनी है और ओडिशा राज्यक्षेत्र में परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक व्यय की गई धनराशि कितनी है;
- (ग) ओडिशा का परियोजना से प्रभावित क्षेत्र निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कितने प्रतिशत धनराशि के लिए सैद्धांतिक रूप से हकदार है;
- (घ) क्या केंद्र सरकार का विचार एनटीपीसी को ओडिशा के परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके अपनी सीएसआर धनराशि के निर्धारित प्रतिशत एवं इसकी बकाया राशि का व्यय करने के लिए अनुदेश देने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"एनटीपीसी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय की गई निधियां" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 251 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : ओडिशा राज्य में एनटीपीसी लारा के लिए कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी, इस प्रकार, लारा परियोजना की संस्थापना के कारण ओडिशा में झारसुगुड़ा के लखनपुर ब्लॉक के गांवों में कोई भी क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) से (ड) : इस समय, एनटीपीसी लारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) चरण के अंतर्गत नहीं आता है। तथापि, परियोजना से प्रभावित गांवों में लारा के पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) योजना में दिए गए लागत उपबंधों के अंतर्गत सामुदायिक विकास (सीडी) गतिविधियां की गई हैं। ये सामाजिक विकास गतिविधियां एनटीपीसी लारा के 09 परियोजना प्रभावित गांवों में जिला कलेक्टर, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में, पणधारकों, ग्राम विकास सलाहकार समिति (वीडीएसी) और जिला प्रशासन, रायगढ़ के परामर्श से भागीदारी रीति में की गई हैं। 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी लारा की आर एंड आर योजना के अंतर्गत नियमित सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए आबंटित 52.34 करोड़ रुपये में से कुल 49.10 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक में 20 अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए सामुदायिक विकास के लिए, 05.12.2018 को जिला कलेक्टर, झारसुगुड़ा जिला (ओडिशा) के पास 72,00,000/-रुपये की राशि जमा की गई थी।

इस नियमित सामुदायिक विकास व्यय के साथ-साथ, लारा की आर एंड आर योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित पर व्यय को शामिल करते हुए विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए 320 करोड़ रुपये की आबंटित राशि में से 220 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

1. नया रायपुर में अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. राजकीय मेडीकल कॉलेज, रायगढ़ को अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन और नवीन उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता
3. इंजीनियरिंग कॉलेज, रायगढ़ का उन्नयन
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पुस्सोरे का उन्नयन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-255

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण का निजीकरण

*255. प्रो. सौगत रॉय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के समूचे विद्युत वितरण कार्य का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने विद्युत वितरण कार्य को अब तक निजी कंपनियों को नहीं सौंपा है;
और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"विद्युत वितरण का निजीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों में विद्युत का विवरण आमतौर पर राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉमों) द्वारा किया जाता है। तदनुसार, राज्यों में विद्युत वितरण का निजीकरण करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) में विद्युत विभागों और यूटिलिटीयों के निजीकरण की घोषणा की है। यह निर्णय विद्युत वितरण यूटिलिटीयों के उप-इष्टतम कार्य-निष्पादन तथा प्रचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य पर प्रेरित करता है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों ने उनके विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु कदम उठाए हैं जिसके लिए विद्युत मंत्रालय ने ट्रेजेक्टरी परामर्शी सलाह समर्थन दिया है और इस संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को बोलियां प्राप्त हुई हैं। दादरा, नगर हवेली (डीएनएच) और दमन दीव (डीडी) संघ राज्य क्षेत्रों को भी बोलियां प्राप्त हुई हैं और इन बोलियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) को अंतिम रूप देने के चरण में है। पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार वर्तमान में आरएफपी को अंतिम रूप देने के चरण में है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने इस दिशा में उपयुक्त विकल्पों का आकलन करने के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2761

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

पारंपरिक मीटर

2761. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में संस्थापित किए गए पारंपरिक मीटरों के संबंध में कोई आंकड़े रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देशभर में 'प्री-पेड' स्मार्ट मीटर' संस्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में जिले-वार कितने स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य विशेषकर जौनपुर जिले में सभी पारंपरिक मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का है; और
- (च) यदि हां, तो निजी ठेकेदारों सहित इस परियोजना में शामिल की गई सभी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में कुल 2,62,94,894 पारंपरिक मीटर लगाए गए हैं। जिले-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) : विभिन्न एजेंसियों/योजनाओं से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 30 जुलाई 2021 तक देश भर में लगभग 2.49 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं।

(घ) : उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 11,47,910 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं। जिलेवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2021 (प्रति अनुबंध-III पर संलग्न है) के पत्र द्वारा सभी राज्यों से स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर में बदलने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु अनुरोध किया है। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नई वितरण सुधार स्कीम में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के संस्थापन हेतु राज्यों को वित्तीय सहयोग देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(च) : उत्तर प्रदेश राज्य ने बताया है कि राज्य में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना से संबंधित वर्तमान परियोजना के लिए मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) कार्यान्वयन एजेंसी है। ईईएसएल विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समर्थित एक कंपनी है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

#नाम	जिला	कुल	
		बिलयोग्य	पारंपरिक मीटर
डीवीवीएनएल	आगरा	411564	381221
डीवीवीएनएल	अलीगढ़	629904	546132
डीवीवीएनएल	औरैया	195842	190146
डीवीवीएनएल	बाँदा	276835	265634
डीवीवीएनएल	चित्रकूट	156559	147889
डीवीवीएनएल	एटा	222129	207788
डीवीवीएनएल	इटावा	222508	214571
डीवीवीएनएल	फर्रुखाबाद	262550	249090
डीवीवीएनएल	फिरोजाबाद	378573	336427
डीवीवीएनएल	हमीरपुर	186380	173743
डीवीवीएनएल	हाथरस	249328	230937
डीवीवीएनएल	जालौन	248240	238480
डीवीवीएनएल	झांसी	300472	298793
डीवीवीएनएल	कन्नौज	216273	203691
डीवीवीएनएल	कानपुर देहात	251400	242653
डीवीवीएनएल	कानपुर नगरी	222817	206123
डीवीवीएनएल	काशीराम नगर	191070	185429
डीवीवीएनएल	ललितपुर	148705	143269
डीवीवीएनएल	महोबा	137816	135794
डीवीवीएनएल	मैनपुरी	253670	240305
डीवीवीएनएल	मथुरा	464200	367069
एमवीवीएनएल	अम्बेडकर नगर	337623	321346
एमवीवीएनएल	अमेठी	260567	252961
एमवीवीएनएल	अयोध्या	405587	384917
एमवीवीएनएल	बदायूं	357858	312872
एमवीवीएनएल	बहराइच	399424	394318
एमवीवीएनएल	बलरामपुर	241246	223879
एमवीवीएनएल	बाराबंकी	396001	368423
एमवीवीएनएल	बरेली	610335	542621
एमवीवीएनएल	गोंडा	389728	378543
एमवीवीएनएल	हरदोई	476159	470306
एमवीवीएनएल	लखीमपुर	530272	500968
एमवीवीएनएल	लखनऊ	1168158	852649
एमवीवीएनएल	पीलीभीत	281634	274215
एमवीवीएनएल	रायबरेली	501085	477906
एमवीवीएनएल	शाहजहांपुर	357465	335053
एमवीवीएनएल	श्रावस्ती	125492	125288

एमवीवीएनएल	सीतापुर	494296	479268
एमवीवीएनएल	मुल्तानपुर	363288	347350
एमवीवीएनएल	उन्नाव	475979	466041
पीयूवीएनएल	आजमगढ़	593090	523502
पीयूवीएनएल	बलिया	311014	300820
पीयूवीएनएल	बस्ती	390146	349668
पीयूवीएनएल	चंदौली	246407	228393
पीयूवीएनएल	देवरिया	422654	353541
पीयूवीएनएल	फतेहपुरी	349196	309451
पीयूवीएनएल	गाजीपुर	413722	331045
पीयूवीएनएल	गोरखपुर	753650	657861
पीयूवीएनएल	जौनपुरी	594731	467622
पीयूवीएनएल	कौशांबी	200872	173370
पीयूवीएनएल	कुशीनगरी	432300	392370
पीयूवीएनएल	महराजगंज	392276	354133
पीयूवीएनएल	मऊ	328833	257382
पीयूवीएनएल	मिर्जापुर	298425	267669
पीयूवीएनएल	प्रतापगढ़	456815	403861
पीयूवीएनएल	प्रयागराजी	831437	709422
पीयूवीएनएल	संत कबीर नगर	246762	230284
पीयूवीएनएल	संत रविदास नगर	182139	161641
पीयूवीएनएल	सिद्धार्थ नगर	335827	307890
पीयूवीएनएल	सोनभद्र	262240	250165
पीयूवीएनएल	वाराणसी	692860	481714
पीवीवीएनएल	अमरोहा (जेपी नगर)	320877	275927
पीवीवीएनएल	बागपत	254820	226061
पीवीवीएनएल	बिजनौर	644248	595431
पीवीवीएनएल	बुलंदशहर	584892	526715
पीवीवीएनएल	गौतम बुद्ध नगर	341235	329529
पीवीवीएनएल	गाज़ियाबाद	957408	946371
पीवीवीएनएल	हापुड़ (पंचशील नगर)	276101	251914
पीवीवीएनएल	मेरठ	763437	570472
पीवीवीएनएल	मुरादाबाद	546951	527447
पीवीवीएनएल	मुजफ्फरनगर	521380	474215
पीवीवीएनएल	रामपुरी	356462	345203
पीवीवीएनएल	सहारनपुर	624298	520797
पीवीवीएनएल	संभल	289181	262559
पीवीवीएनएल	शामली	249488	216341
यूपीपीसीएल		29265206	26294894

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जिला	उत्तर प्रदेश में संस्थापित किए गए स्मार्ट मीटरों की सं.
वाराणसी	180717
प्रयागराज	82686
गोरखपुर	56543
मेरठ	148599
सहारनपुर	49823
लखनऊ	297283
बाराबंकी	22518
बरेली	56048
मथुरा	83894
फिरोजाबाद	20837
अलीगढ़	42729
कानपुर	106233
कुल	1147910

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

संख्या 23/05/2020-भाग (1)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2021

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा/विद्युत विभाग
2. सभी डिस्कॉमों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

विषय - स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटरों का क्रियान्वयन।

महोदय/महोदया,

मुझे विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16.08.2018, 02.08.2019 और 07.08.2020 के पत्रों (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी राज्यों ने स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/ पूर्व-भुगतान मीटरों में स्थानांतरण के लिए कदम उठाए होंगे और एक रोड मैप तैयार किया होगा। कुछेक राज्यों ने पहले ही उपभोक्ता स्तरों पर पूर्व-भुगतान मीटरों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। पूर्व-भुगतान मीटरों का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

- (I) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी।
- (II) डिस्कॉम, विद्युत एक्सचेंज से तुलनात्मक रूप से सस्ती विद्युत खरीदने में सक्षम होंगे, जिसे वे वित्तीय बाधाओं के कारण खरीदने में असमर्थ थे।
- (III) विलंबित भुगतान अधिभार का बोझ भी शून्य हो जाएगा। कुछ राज्यों में विलंबित भुगतान अधिभार पूर्णतया संतोषजनक है।
- (IV) उपभोक्ता-वार आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, डिस्कॉम अपनी अवसंरचना में सुधार करने और अपने सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।
- (V) डिस्कॉम जेनकोज़, पारेषण कंपनियों, व्यापार कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने में सक्षम होंगे, फलस्वरूप उन्हें विद्युत क्रय लागत पर लगभग 1.5% से 2% तक की छूट मिलेगी;
- (VI) जैसे ही उत्पादन कंपनियां और पारेषण कंपनियां समय पर अथवा अग्रिम में भुगतान करने लगेंगी, उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में कमी आएगी और उस सीमा तक, टैरिफ भी कम होगा।
- (VII) लागत में बचत होगी क्योंकि इससे भौतिक बिल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी - इससे अनियमित बिलिंग, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में - जहां मीटरों की नियमित रूप से रीडिंग नहीं ली जाती है और बिलों को या तो तिमाही रूप से या अर्द्धवार्षिक रूप से या कभी-कभार वार्षिक रूप से प्रेषित किया जाता है - की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। बिलों की अनियमितता से संचयी देयताएं उत्पन्न होती हैं जिनका डिस्कॉमों को समय पर भुगतान करने में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है और राशि में विलंबित भुगतान अधिभार भी जोड़ दिया जाता है। प्रीपेमेंट मीटरों के साथ, उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार और अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार छोटी राशियों में भुगतान कर सकते हैं।

2. केंद्रीय बजट, 2021-22 में, माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 वर्षों के लिए 3,05,984/- करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सुधार-आधारित-परिणाम-संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉमों को वित्तीय सुधारों से जुड़े पूर्व-भुगतान स्मार्ट मीटरिंग, फीडर पृथक्करण, प्रणालियों के उन्नयन आदि सहित अवसंरचना सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व-भुगतान मीटरों के लिए लगभग 1,50,000/- करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जा रही है।

3. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55(1) और 47(5) तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2019 के अंतर्गत मीटरिंग के संबंध में संगत प्रावधान अनुबंध पर संलग्न हैं।

4. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 दिनांक 31.12.2020 को अधिसूचित किए गए थे और इन नियमों के अनुसार, बिना मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर होगा। ऊपर उल्लिखित नियम का प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार है:

“मीटर के बिना कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और यह मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर होगा। स्मार्ट मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर में किसी छूट को आयोग द्वारा विधिवित अनुमोदित किया जाएगा। ऐसा करते समय, आयोग स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर के संस्थापन से विचलन की अनुमति देने के उपयुक्त औचित्य को लेखबद्ध करेगा।”

तदनुसार, डिस्कॉमों को उपर्युक्त प्रावधान को लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य आयोग से कोई विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

5. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए राज्यों से एक बार पुनः स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर/पूर्व-भुगतान मीटर में स्थानांतरण की स्कीम को समयबद्ध रीति में तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। राज्यों से इस पत्र के जारी होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर अपनी योजना इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

6. इसके अलावा, राज्यों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली स्कीम में निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं को दर्शाया जाए:-

- I. मीटर के बिना कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर होगा।
- II. किसी भी दोषपूर्ण मीटर को केवल स्मार्ट पूर्व-भुगतान मीटर या पूर्व-भुगतान मीटर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- III. मौजूदा पोस्टपेड मीटरों को 3 वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. इसे माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त

ह0/-

(घनश्याम प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011 23710389

प्रति सूचनार्थ: माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (आर एंड आर) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, उप सचिव (आर एंड आर) के निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय

धारा 55(1) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

“(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार किसी सही मीटर के संस्थापन के माध्यम के सिवाय नियत तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात विद्युत का प्रदाय नहीं करेगा:

परंतु अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से मीटर की कीमत के लिए प्रतिभूति देने और उसके किराए के लिए करार करने की अपेक्षा कर सकेगा, जब तक कि उपभोक्ता मीटर का क्रय करने का विकल्प न दे:

परंतु यह और कि राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्र के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उक्त दो वर्ष की अवधि को बढ़ा सकेगा।

(2) प्राधिकरण, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण या व्यापार के उचित लेखा और संपरीक्षा के लिए, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे प्रक्रमों पर और उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे मीटरों के संस्थापन का निदेश दे सकेगा।”

धारा 47 की उप-धारा 5 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

“कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रतिभूति की अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा, यदि प्रदाय की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति पूर्व संदाय मीटर के माध्यम से प्रदाय लेने के लिए तैयार हो जाता है।”

पूर्व-भुगतान मीटर का संदर्भ पूरे विद्युत अधिनियम, 2003 में केवल इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसमें व्यक्ति के लिए पूर्व-भुगतान मीटर का विकल्प चुनने पर सुरक्षा का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) (संशोधन) विनियम, 2019

सीईए ने अपना मीटर विनियम संशोधित किया है और खंड 4(1)(ख) के अनुसार, सभी नए उपभोक्ता मीटर पूर्व-भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर होंगे।

“परन्तु स्मार्ट मीटरों के अलावा, अन्य मौजूदा मीटरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूर्व-भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।”

तथापि, मौजूदा मीटरों के संस्थापन के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा समय-सीमा निर्धारित की जानी है।

फा. सं.26/9/2015-आईपीडीएस
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 16 अगस्त, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप - के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के दिनांक 28.05.2018 के अ.शा. पत्र का संदर्भ लें, जिसमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2016 में पहले से ही 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दिसम्बर, 2019 तक स्मार्ट मीटरों की संस्थापना को अनिवार्य किया गया है। इसमें यह भी इंगित किया गया है कि धीरे-धीरे सभी उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रकार के मीटरों को स्मार्ट मीटरों में परिवर्तित किया जाएगा।

2. राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के आधार पर, भारत सरकार ने आईपीडीएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के लिए 830 करोड़ रुपये तक की निधियां संस्वीकृत की हैं। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत भी स्मार्ट मीटरों के लिए वित्तपोषण किया गया है। इसके साथ-साथ, यह देखा गया है कि कई राज्यों ने ईईएसएल के साथ व्यापार मॉडल के अंतर्गत बहुपक्षीय वित्तपोषण के अधीन स्मार्ट मीटरिंग की परियोजनाएं भी आरम्भ कर दी हैं।

3. स्मार्ट मीटरों में प्रीपेड मोड में संचालन की संभावना का अतिरिक्त लाभ होता है। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों या साधारण प्रीपेड मीटरों से मीटर रीडिंग और बिलिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर चोरी का पता लगाने में भी सक्षम होंगे क्योंकि इन मीटरों से वास्तविक समय ऊर्जा संपरीक्षा सक्षम होगी, जिससे एटीएंडसी हानि की कमी के लिए यह एक प्रमुख इनेबलर होगा। प्रीपेड मोड उपभोक्ताओं, ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं सहित, को अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और विद्युत की लागत को उनके लिए विशिष्ट बनाते हुए ऊर्जा संरक्षण उपायों को सक्षम बनाया जाएगा।

4. अतः माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जी के अनुमोदन से यह परामर्श दिया जाता है कि राज्य आगामी तीन वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च, 2021 तक प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर/साधारण प्रीपेड मीटर में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकते हैं। कृपया, इसके लिए एक रोडमैप यथाशीघ्र इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।

भवदीय,

ह0/-

(जी स्वान जा लियान)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23708051

फा. सं.26/9/2015-आईपीडीएस(खंड II)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 02 अगस्त, 2019

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप

महोदय/महोदया,

कृपया माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के दिनांक 28.05.2019 के अ.शा. पत्र (प्रति संलग्न) तथा 16.08.2018 के पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें, जिनमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरिंग के लाभ सर्वविदित हैं। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों से बिलिंग और संग्रह की समस्या से मुक्ति मिलती है, संग्रह की लागत में कमी आती है, भुगतान न करने के मामले में डिस्कनेक्शन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, संवहन लागत में कमी आती है, परिशुद्ध मांग पूर्वानुमान में सक्षमता प्राप्त होती है और ऊर्जा संरक्षण होता है। इससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व में वृद्धि और लेन-देन की लागत में कमी होती है।

3. राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा रोडमैप के साथ-साथ प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में अंतरिम रूप में प्रगति की गई होगी। विद्युत मंत्रालय ने भी राज्यों, जिन्होंने सहायता का अनुरोध किया था, को आईपीडीएस के अंतर्गत लगभग 41 लाख स्मार्ट मीटरों के लिए 830 करोड़ रुपये की निधियां संस्वीकृत की हैं। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत भी स्मार्ट मीटरों के लिए वित्तपोषण किया गया है। इन स्कीमों के तहत खरीदे गए सभी स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में समनुरूप किया जाएगा।

4. अतः यह अनुरोध है कि राज्य सभी उपभोक्ताओं के संबंध में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए अपने रोडमैप के साथ-साथ पहले से शुरू किए गए/प्रक्रियाधीन स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं की प्रगति यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

5. इसका अलावा, पुनः यह भी उल्लेख किया जाता है कि राज्य/डिस्कॉम प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर में स्थानांतरण करें और इसका कार्यान्वयन आगामी तीन वर्षों के भीतर किया जाए।

6. इसे माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह0/-

(जी स्वान जा लियान)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23708051

प्रति:

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (एसएनएस) के प्रधान निजी सचिव
संयुक्त सचिव (वितरण) के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (वितरण) के निजी सचिव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी
निदेशक, एनएसजीएम/एनपीएमयू

आर के सिंह

विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

अ.शा. पत्र संख्या 239628/एमओएस(आईसी)/पावर/2018

28.05.2018

आदरणीय विप्लब जी,

जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती रही है, वैसे ही मीटर रीडिंग, बिलों की सर्विस और बिलों का भुगतान न होने के मामले में डिस्कनेक्शन में कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई है। ये कठिनाइयां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां मीटर रीडिंग यदा-कदा होती है और उपभोक्ताओं तक बिल दो से तीन महीनों में पहुंचता है और बिलों का भुगतान न करने के मामले में डिस्कनेक्शन और अधिक कठिन होता जा रहा है। सौभाग्य के अंतर्गत, हम 3.70 करोड़ अतिरिक्त उपभोक्ताओं को शामिल करने जा रहे हैं। इससे मीटर रीडिंग, बिलिंग, संग्रहण और डिस्कनेक्शन में और अधिक कठिनाइयां आएंगी। अतः, हमें प्रौद्योगिकी की सहायता लेने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम विद्युत आपूर्ति को पोस्ट-पेड मोड से प्री-पेड मोड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं। इससे मीटर रीडिंग, बिलों की सर्विस या भुगतान न होने के मामले में मैन्युअल डिस्कनेक्शन की अनिवार्यता से मुक्ति मिलेगी। हम इस परिवर्तन को एक बार आरम्भ करने के बाद तीन वर्ष के भीतर समयबद्ध रीति से करने का प्रस्ताव करते हैं।

2. प्रीपेड मोड गरीब लोगों के लिए इसलिए लाभकारी है कि वे एक माह में कई बार रिचार्ज कर सकते हैं और एक बार में 50/- रुपये या 100/- रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हैं। यह गरीब लोगों को अपना कनेक्शन बरकरार रखने में मदद करेगा। वे 30 दिनों के लिए भुगतान, जो पोस्टपेड मोड में अनिवार्य है, की बजाय एक बार में पांच से छः दिन का रिचार्ज करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। यह वितरण कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा क्योंकि उन्हें मीटर रीडिंग/बिलों की सर्विस/संग्रहण और डिस्कनेक्शन की आवश्यकता से निजात मिलेगी। हम प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर कार्यक्रम का प्राथमिकता देना चाहेंगे। इन्हें सभी शहरी क्षेत्रों में संस्थापित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, साधारण प्री-पेड मीटर ही पर्याप्त होंगे।

3. मैं आभारी होऊंगा यदि आप अपने राज्य के ऊर्जा विभाग और डिस्कॉमों को आगामी तीन वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने और इसे हमारे साथ साझा करने का निदेश दे सकें।

सादर,

विश्वासभाजन

ह0/-

(आर. के. सिंह)

श्री विप्लब कुमार देव
माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा
त्रिपुरा सरकार
सचिवालय
अगरतला-799 001

नई दिल्ली, दिनांक 07 अगस्त, 2020

सेवा में,

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा)/सभी डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक

विषय - आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटरों में स्थानांतरण के लिए रोड मैप

महोदय/महोदया,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 02.08.2019 और 16.08.2018 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें, जिनमें आगामी 3 वर्षों के भीतर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अनुरोध किया गया है। रोडमैप सहित उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

2. बिलिंग न होना, गलत बिलिंग, चोरी, उपयोग की गई ऊर्जा के बिलों का संग्रह न होना आदि उच्च एटीएंडसी हानियों के मुख्य कारण हैं। इन सभी कारणों में एक अंतर्निहित कारक अर्थात् एक मानव इंटरफेस मौजूद है। प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंटरफेस को प्रतिस्थापित करते हुए प्रीपेड मीटरिंग यूटिलिटियों को इन समस्याओं का समाधान करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह उपभोक्ताओं को उनकी स्वयं की आवश्यकता और बजट के अनुसार विद्युत का उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगी। जिन क्षेत्रों में प्रीपेड मीटरिंग आरम्भ की गई है उनमें एटीएंडसी हानियों में काफी कमी आई है। मणिपुर में, यह हानि 47 प्रतिशत से कम होकर 15 प्रतिशत तक हो गई है।

3. अतः, यथाशीघ्र प्रीपेड मोड- या तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग या साधारण प्रीपेड मीटरिंग - में स्थानांतरण यूटिलिटियों के हित में है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के कुछ अतिरिक्त लाभ भी होंगे जैसे रिमोट टैरिफ अपडेट, वास्तविक समय ऊर्जा संपरीक्षा और टीओडी टैरिफ - किंतु प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग या साधारण प्रीपेड मीटरिंग को चुनने का विकल्प केवल राज्यों के पास है। प्रीपेड में स्थानांतरण की अनिवार्य अपेक्षा मैनुअल इंटरफेस से मुक्ति पाना और लेन-देन की लागत को कम करना है। यह अनुरोध है कि प्रीपेड प्रणाली में स्थानांतरण को आरम्भ किया जाए और इसे चरण-वार कार्यान्वित किया जाए। यह अनुरोध है कि इस मंत्रालय को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. इसे माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह0/-

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

संयुक्त सचिव (वितरण)

प्रति:

1. माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
2. सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक (वितरण) के निजी सचिव
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी
7. निदेशक, एनएसजीएम/एनपीएमयू

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2781

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

2781. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इसके स्रोतों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस समय में भावी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्वच्छ विद्युत क्षेत्र के लिए तय लक्ष्य क्या है;
- (घ) प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने तथा कोयला और अन्य प्रदूषण अवयवों से मुक्त होने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
- (ङ) राजस्थान सहित देश में उत्पादित विद्युत की राज्य-वार मात्रा क्या है; और
- (च) राजस्थान सहित राज्य-वार विद्युत की मांग कितनी है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 30.06.2021 तक, संस्थापित उत्पादन क्षमता 384115.94 मेगावाट है जिसमें 234058.22 मेगावाट तापीय, 46322.22 मेगावाट जल-विद्युत, 96955.51 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) और 6780 मेगावाट न्यूक्लियर शामिल हैं। स्रोत-वार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : स्वच्छ विद्युत के लिए भावी उत्पादन क्षमता योजनाओं और लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) देश में निर्माण के विभिन्न चरणों में वर्ष 2024-25 तक आरंभ होने वाली परंपरागत उत्पादन क्षमता जिसमें तापीय 36,765 मेगावाट, जल-विद्युत 10,164.50 मेगावाट और न्यूक्लियर 4,800 मेगावाट शामिल हैं।

(ii) वर्ष 2021-22 के अंत तक, भारत सरकार ने नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें सौर से 1,00,000 मेगावाट, पवन से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जल-विद्युत से 5,000 मेगावाट शामिल हैं।

(घ) : प्रदूषण मुक्त विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और कोयले तथा अन्य प्रदूषणकारी तत्वों से मुक्त होने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की अपनी ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन सघनता में वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कटौती करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से अपनी संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की है।
- (ii) ताप विद्युत संयंत्र विभिन्न उपाय जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैसीपिटेटर्स (ईएसपी) का उन्नयन, फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम का अधिष्ठापन और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), SO₂ और NO_x मानदंडों का अनुपालन करने के लिए कंबेशन आशोधन कर रहे हैं।

(ङ) : पिछले वर्ष 2020-21 एवं वर्तमान वर्ष (जून 2021 तक) के दौरान, देश में 25 मेगावाट और इससे अधिक परंपरागत ईंधन स्रोतों (तापीय, जल-विद्युत एवं न्यूक्लियर) से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार विवरण, जिसमें राजस्थान शामिल है, **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

पिछले वर्ष 2020-21 एवं वर्तमान वर्ष (जून 2021 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का राज्य-वार विवरण, **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(च) : पिछले वर्ष अर्थात् 2020-21 एवं वर्तमान वर्ष अर्थात् (जून 2021 तक) के दौरान, राजस्थान सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न स्रोतों जैसे उनका अपना उत्पादन, अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों से हिस्सा जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशन भी शामिल हैं, द्विपक्षीय आधार पर विद्युत की खरीद और पावर एक्सचेंजों आदि के माध्यम से अपनी संबंधित ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2781 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता का स्रोत-वार विवरण

(मेगावाट में)

	स्रोत-वार विवरण								कुल जोड़
	तापीय					न्युक्लियर	हाइड्रो	आरईएस	
	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
क्षमता	202004.50	6620.00	24924.01	509.71	234058.22	6780.00	46322.22	96955.51	384115.94
% हिस्सा	52.59	1.72	6.49	0.13	60.93	1.77	12.06	25.24	100.00

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2781 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष (जून 2021 तक) के दौरान राजस्थान सहित देश में 25 मेगावाट और उससे अधिक के पारंपरिक ईंधन स्रोतों (तापीय, न्यूक्लियर और हाइड्रो) से विद्युत उत्पादन का विवरण।

राज्य	उत्पादन (एमयू)	
	2021-22 (जून 2021 तक)*	2020-21
अंडमान निकोबार	24.47	118.48
आंध्र प्रदेश	13450.93	52749.07
अरुणाचल प्रदेश	988.01	3451.34
असम	1927.54	5969.01
भूटान (आईएमपी)	1866.04	8765.50
बिहार	10592.82	33866.14
छत्तीसगढ़	36900.32	135033.69
दिल्ली	1382.81	5304.01
गोवा	0.00	0.00
गुजरात	19626.37	103882.32
हरियाणा	4702.00	14896.38
हिमाचल प्रदेश	9325.51	37473.47
जम्मू एवं कश्मीर	5417.87	17002.68
झारखंड	7666.24	27443.06
कर्नाटक	11047.74	39542.51
केरल	2065.06	6737.63
लद्दाख	103.05	376.21
मध्य प्रदेश	32976.37	129567.11
महाराष्ट्र	34605.28	117572.34
मणिपुर	81.47	621.62
मेघालय	197.53	1151.99
मिजोरम	8.00	158.85
नागालैंड	13.12	203.86
ओडिशा	15304.67	62066.44
पुदुचेरी	62.27	232.15
पंजाब	6216.26	22741.82
राजस्थान	12816.37	54090.95
सिक्किम	2984.44	10879.50
तमिलनाडु	20460.39	70077.48
तेलंगाना	13064.97	48406.14
त्रिपुरा	1157.19	7043.21
उत्तर प्रदेश	33819.01	126920.87
उत्तराखंड	3229.48	14314.46
पश्चिम बंगाल	21639.91	75947.35
कुल जोड़	325723.51	1234607.64

*वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम

- केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के ईंधन स्रोतों (तापीय, हाइड्रो और न्यूक्लियर) स्टेशनों से सकल उत्पादन।
- वर्ष 2019-20 से जम्मू एवं कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2781 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष (जून 2021 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से राज्य-वार उत्पादन के ब्यौरे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (जून 2021 तक)
चंडीगढ़	10.16	4.29
दिल्ली	426.70	90.15
हरियाणा	760.75	218.22
हिमाचल प्रदेश	2160.30	311.51
जम्मू एवं कश्मीर	439.29	151.91
लद्दाख	0.00	0.00
पंजाब	2864.47	803.29
राजस्थान	16516.35	5509.03
उत्तर प्रदेश	5747.78	1328.52
उत्तराखंड	1236.85	215.01
उत्तरी क्षेत्र	30162.65	8631.93
छत्तीसगढ़	1633.89	440.85
गुजरात	17976.99	6807.11
मध्य प्रदेश	8517.85	2617.65
महाराष्ट्र	14232.49	4028.98
दादरा एवं नगर हवेली	11.96	9.85
दमन व दीव	40.04	12.86
गोवा	1.46	0.35
पश्चिमी क्षेत्र	42414.69	13917.65
आंध्र प्रदेश	14133.82	4503.92
तेलंगाना	6933.09	1916.84
कर्नाटक	27850.31	6641.39
केरल	1092.11	347.13
तमिलनाडु	21658.97	6522.02
लक्षद्वीप	0.45	0.10
पुदुचेरी	6.39	3.06
दक्षिणी क्षेत्र	71675.14	19934.45
अंडमान निकोबार	39.51	7.67
बिहार	226.61	40.71
झारखंड	26.47	5.07
ओडिशा	877.77	238.79
सिक्किम	55.96	3.09
पश्चिम बंगाल	1530.69	433.33
पूर्वी क्षेत्र	2757.01	728.66
अरुणाचल प्रदेश	2.10	0.53
असम	51.51	22.90
मणिपुर	7.71	1.37
मेघालय	56.79	10.27
मिजोरम	33.52	0.75
नागालैंड	70.77	3.22
त्रिपुरा	15.62	3.09
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	238.02	42.15
अखिल भारत कुल	147247.51	43254.84

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2781 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (जून 2021 तक) के दौरान, राजस्थान सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे।

राज्य/प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - जून, 2021				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	आवश्यक ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		आवश्यक ऊर्जा	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	400	400	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
दिल्ली	7,856	7,854	1	0.0	29,560	29,555	4	0.0
हरियाणा	13,629	13,609	20	0.1	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	2,742	2,737	5	0.2	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	5,086	4,674	412	8.1	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	15,400	15,344	56	0.4	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	20,448	20,418	30	0.1	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	32,788	32,457	331	1.0	124,367	123,383	984	0.8
उत्तराखंड	3,543	3,538	5	0.2	13,827	13,818	8	0.1
उत्तरी क्षेत्र	101,892	101,031	861	0.8	396,151	392,323	3,829	1.0
छत्तीसगढ़	7,872	7,870	2	0.0	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	30,721	30,721	0	0.0	111,622	111,622	0	0.0
मध्य प्रदेश	19,222	19,222	0	0.0	83,437	83,437	0	0.0
महाराष्ट्र	43,707	43,707	0	0.0	150,679	150,663	16	0.0
दमन और दीव	617	617	0	0.0	2,223	2,223	0	0.0
दादर नगर हवेली	1,591	1,591	0	0.0	5,497	5,497	0	0.0
गोवा	1,143	1,143	0	0.0	4,083	4,083	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	104,872	104,871	2	0.0	388,013	387,975	38	0.0
आंध्र प्रदेश	17,756	17,746	9	0.1	62,080	62,076	4	0.0
तेलंगाना	16,517	16,516	1	0.0	66,998	66,994	4	0.0
कर्नाटक	18,274	18,273	1	0.0	68,851	68,831	19	0.0
केरल	6,489	6,485	4	0.1	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	28,615	28,614	1	0.0	101,194	101,189	5	0.0
पुदुचेरी	761	761	0	0.0	2,644	2,644	0	0.0
लक्षद्वीप#	15	15	0	0.0	56	56	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	88,412	88,395	17	0.0	326,885	326,836	48	0.0
बिहार	9,421	9,375	46	0.5	34,171	34,018	153	0.4
डीवीसी	5,819	5,819	0	0.0	21,368	21,368	0	0.0
झारखंड	2,635	2,577	57	2.2	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	9,184	9,184	0	0.0	29,848	29,848	0	0.0
पश्चिम बंगाल	14,674	14,648	26	0.2	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	136	136	0	0.0	546	546	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	41,869	41,739	129	0.3	147,530	146,999	531	0.4
अरुणाचल प्रदेश	188	188	1	0.3	719	714	5	0.7
असम	2,697	2,679	19	0.7	10,192	9,815	377	3.7
मणिपुर	227	226	1	0.4	974	969	5	0.5
मेघालय	490	477	13	2.7	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	157	155	2	1.3	728	723	4	0.6
नागालैंड	206	205	1	0.3	826	822	4	0.5
त्रिपुरा*	407	407	0	0.1	1,484	1,481	3	0.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4,372	4,336	36	0.8	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारत	341,418	340,372	1,046	0.3	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4
# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।								
* बंगलादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।								
टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिता/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।								

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2800

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

रिक्त पद

2800. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों में कोई पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है और उनमें नई नियुक्तियों की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नियुक्तियों का वर्ष, श्रेणी और उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसयूज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीपीएसयूज में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों और नई नियुक्तियों का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III पर दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सीपीएसयूज में रिक्त आरक्षित पदों की स्थिति:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	11	12	24	12	0	0	0	0
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	0	8	0	0	7	161	1	15
4.	पीएफसी लिमिटेड	0	1	0	0	0	0	0	0
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14	22	0	0	41	15	0	0
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0
7.	आरईसी लिमिटेड	2	2	0	0	0	0	0	0
8.	एसजेवीएनएल	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2	1	0	0	1	0	0	0
	कुल योग	30	47	24	12	49	176	1	15

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान, सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	14	0	20	6	67	0	15	14	116
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	49	33	7	2	34	20	1	0	91	55
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	309	119	314	168	75	33	22	10	720	330
4.	पीएफसी लिमिटेड	14	4	13	7	0	0	0	0	27	11
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14	4	0	0	0	0	0	0	14	4
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	1	3	0	1	0	0	0	14	1
7.	आरईसी लिमिटेड	7	2	0	0	0	0	0	0	7	2
8.	एसजेवीएनएल	27	17	2	0	20	3	5	2	54	22
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	17	8	5	0	14	0	0	0	36	8

कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान, सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	55	16	5	3	49	7	0	0	109	26
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	414	211	136	64	59	34	19	7	628	316
4.	पीएफसी लिमिटेड	18	6	1	0	0	1	0	0	19	7
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11	4	0	0	1	1	0	0	12	5
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	5	0	0	0	1	0	0	11	6
7.	आरईसी लिमिटेड	6	2	0	0	0	0	0	0	6	2
8.	एसजेवीएनएल	35	12	18	1	16	4	1	0	70	17
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	13	0	1	1	14	2	0	0	28	3

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.

1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	121	45	6	1	19	27	0	0	146	73
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	379	179	146	76	81	27	0	0	606	282
4.	पीएफसी लिमिटेड	11	4	0	1	2	0	0	0	13	5
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	18	4	1	0	2	1	0	0	21	5
7.	आरईसी लिमिटेड	9	4	1	0	0	0	0	0	10	4
8.	एसजेवीएनएल	39	11	6	3	25	3	20	5	90	22
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	20	7	2	0	4	0	0	0	26	7

कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान, सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	95	34	20	7	19	2	6	0	140	43
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
4.	पीएफसी लिमिटेड	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	18	7	2	0	0	0	0	0	20	7
7.	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	एसजेवीएनएल	12	3	0	0	5	0	17	5	34	8
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों पर सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के तहत) द्वारा की गई नई नियुक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	40	26	0	0	9	3	0	0	49	29
4.	पीएफसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	62	27	0	0	31	11	0	0	93	38
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
7.	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	एसजेवीएनएल	0	0	0	0	6	1	0	0	6	1
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	5	3	0	0	6	0	0	0	11	3

कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों पर सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के तहत) द्वारा की गई नई नियुक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	12	9	0	0	48	42	1	0	61	51
4.	पीएफसी लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25	19	0	0	19	2	0	0	44	21
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	6	0	0	0	0	0	0	5	6
7.	आरईसी लिमिटेड	5	3	0	0	0	0	0	0	5	3
8.	एसजेवीएनएल	8	3	0	0	0	0	0	0	8	3
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	7	4	0	0	2	0	0	0	9	4

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों पर सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के तहत) द्वारा की गई नई नियुक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	46	14	0	0	4	4	1	0	51	18
4.	पीएफसी लिमिटेड	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	22	8	0	0	4	4	0	0	26	12
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13	7	0	0	0	0	0	0	13	7
7.	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	एसजेवीएनएल	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों पर सीपीएसयू (विद्युत मंत्रालय के तहत) द्वारा की गई नई नियुक्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	समूह 'क' पद		समूह 'ख' पद		समूह 'ग' पद		समूह 'घ' पद		कुल	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	28	15	0	0	2	2	0	1	30	18
4.	पीएफसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	4	0	0	0	0	0	0	15	4
6.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
7.	आरईसी लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8.	एसजेवीएनएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2803

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स

2803. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) को राज्य-वार कितना कर-अवकास दिया गया है;
- (ख) उक्त यूएमपीपी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त अवधि के दौरान इनसे कितना उत्पादन हुआ है; और
- (ग) उन यूएमपीपी का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी) अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन और गुजरात के मुंद्रा में आरंभ हो गई हैं और निम्नानुसार प्रचालनरत हैं:

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	राज्य	आरंभ होने की तारीख
1.	सासन पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	01.02.2015
2.	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	गुजरात	22.03.2013

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1 क के अनुसार, विद्युत उत्पादन सहित अवसंरचना विकास में लगे हुए औद्योगिक उपकरणों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की कर-मुक्तता, उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम अथवा उद्यम विकसित किया गया है और किसी भी अवसंरचनात्मक गतिविधि का प्रचालन शुरू किया जाता है, 15 वर्षों में से किन्हीं दस क्रमागत वर्षों के लिए उपलब्ध रहती है।

(ख) और (ग) : उत्पादन खरीदारों द्वारा दी गई समय-सूची पर निर्भर होता है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए दो यूएमपीपी के लिए नियत लक्ष्य और वास्तविक विद्युत उत्पादन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

वर्ष	सासन यूएमपीपी		मुंद्रा यूएमपीपी	
	नियत लक्ष्य (एमयूज)	वास्तविक उत्पादन (एमयूज)	नियत लक्ष्य (एमयूज)	वास्तविक उत्पादन (एमयूज)
2018-19	30421.00	32877.27	26636.00	26839.30
2019-20	31000.00	33340.92	26700.00	26495.39*
2020-21	31000.00	33387.69	26700.00	26208.53*
2021-22 (अप्रैल'21-मई'21)	5619.00	5714.85	3637.00	1108.20*

एमयूज: मिलियन यूनिटें

*वास्तविक विद्युत उत्पादन लक्ष्य से कम है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2808

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क

2808. श्री संजय भाटिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो हरियाणा के करनाल सहित तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क प्रणाली और ट्रांसफॉर्मर/फीडर/कंज्यूमर मीटरिंग के वितरण को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में निम्नलिखित घटकों के साथ 'एकीकृत विद्युत विकास स्कीम' (आईपीडीएस) शुरू की थी :

- (i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- (ii) शहरी क्षेत्रों में फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- (iii) विलयित घटक के रूप में आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत किए गए विभिन्न क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

आईपीडीएस स्कीम का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपये है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 547 सर्किलों में 31,314 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं जिसके निमित्त राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने 24,440 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना प्रदान की है। हरियाणा के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 447 करोड़ रुपये की संस्वीकृत

के निमित्त 180 करोड़ रुपये संवितरित कर दिए गए हैं। हरियाणा में आईपीडीएस के अंतर्गत प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 30.06.2021 को 3,03,738 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम: सुधार आधारित एवं परिणाम संबद्ध स्कीम' अनुमोदित की है। यह स्कीम आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए और प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालन दक्षता और वित्तीय संधारणीयता में सुधार करने का प्रयास करती है।

(ग) : आईपीडीएस के अंतर्गत, हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों के लिए 42.92 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इनका ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने भी सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से करनाल निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

- (i) निगम की स्वयं की कैपेक्स स्कीम के अंतर्गत 1.30 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना।
- (ii) निगम की स्वयं की कैपेक्स स्कीम के अंतर्गत 33 केवी के 47 सब-स्टेशनों के निर्माण/अभिवर्धन का कार्य।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं का जिला-वार विवरण

क्रम सं.	डिस्कॉम	सर्किल	मूल संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार से अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)	संवितरित अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)	प्रमुख निष्पादित मर्दे
1	यूएचबीवीएनएल	अंबाला	5.65	3.39	3.05	एचटी लाइन - 12.31 कि.मी. ; एबी केबल- 46.03 कि.मी., यूजी केबल- 0.91 कि.मी., न्यू डीटी- 49, एलटी लाइन- 0.74 कि.मी., सौर पैनल- 60 केडब्ल्यूपी
2		झज्जर	1.44	0.86	0.78	यूजी केबल- 0.60 कि.मी., एबी केबल- 10.14 कि.मी., न्यू डीटी- 04, सौर पैनल- 50 केडब्ल्यूपी
3		कैथल	7.49	4.49	4.04	एचटी लाइन- 2.45 कि.मी., एबी केबल- 21.43 कि.मी., न्यू डीटी- 44, सौर पैनल- 55 केडब्ल्यूपी
4		करनाल	30.32	18.19	13.66	न्यू सब-स्टेशन- 1 (20 एमवीए), एचटी लाइन- 20.32 कि.मी., एबी केबल- 81.42 कि.मी., यूजी केबल-30.45 कि.मी., न्यू डीटी- 72, सौर पैनल- 50 केडब्ल्यूपी
5		कुरुक्षेत्र	5.87	3.52	3.17	एचटी लाइन- 2.55 कि.मी., एबी केबल- 39.27 कि.मी., यूजी केबल- 11.18 कि.मी., न्यू डीटी- 22, उपभोक्ता मीटर- 1550
6		पानीपत*	12.44	7.46	3.39	एचटी लाइन- 1.22 कि.मी., एबी केबल- 22.59 कि.मी., यूजी केबल- 2.13 कि.मी., न्यू डीटी- 13
7		रोहतक	9.2	5.52	4.97	एचटी लाइन- 2.36 कि.मी., एबी केबल- 60.89 कि.मी., यूजी केबल- 2.97 कि.मी., न्यू डीटी- 63, उपभोक्ता मीटर- 457
8		सोनीपत	5.65	3.39	3.05	एचटी लाइन- 2.97 कि.मी., एबी केबल- 37.38 कि.मी., यूजी केबल- 4.22 कि.मी., न्यू डीटी- 33, उपभोक्ता मीटर- 1000
9		यमुना नगर	9.78	5.87	3.16	एचटी लाइन- 4.89 कि.मी., एबी केबल- 38.09 कि.मी., यूजी केबल- 1.21 कि.मी., न्यू डीटी- 43, सौर पैनल- 70 केडब्ल्यूपी
कुल-यूएचबीवीएन		09	87.84	52.69	39.27	

* यूएचबीवीएनएल में जीआईएस एस/एस परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत 01 (2x10 एमवीए) जीआईएस सब-स्टेशन सहित।

क्रम सं.	डिस्कॉम	सर्किल	मूल संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार से अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)	संवितरित अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)	प्रमुख निष्पादित मदें
1	डीएचबीवीएनएल	भिवानी	13.3	7.98	4.65	न्यू सब-स्टेशन- 2 (20 एमवीए), सब-स्टेशन की क्षमता में वृद्धि- 3, एचटी लाइन- 37.74 कि.मी., एबी केबल- 34.03 कि.मी., उपभोक्ता मीटर- 2158, सौर पैनल- 9 केडब्ल्यूपी
2		फरीदाबाद	107.32	64.39	57.95	एचटी लाइन- 70.24 कि.मी., एबी केबल- 393.80 कि.मी., यूजी केबल- 102.52 कि.मी., उपभोक्ता मीटर- 90
3		गुडगांव	121.05	72.63	59.33	एचटी लाइन- 54.88 कि.मी., एबी केबल- 104.51 कि.मी., यूजी केबल- 123.94 कि.मी., न्यू डीटी- 283
4		हिसार	12.34	7.4	1.71	एचटी लाइन- 28.10 कि.मी., एबी केबल- 57.09 कि.मी., न्यू डीटी- 84, न्यू एलटी लाइन- 38.32 कि.मी., सौर पैनल- 78 केडब्ल्यूपी
5		जींद	10.88	6.53	2.32	न्यू सब-स्टेशन- 1No (10 एमवीए), एचटी लाइन- 30 कि.मी., सौर पैनल- 7 केडब्ल्यूपी
6		नारनौल	13.32	7.99	1.91	एचटी लाइन- 1.02 कि.मी., एबी केबल- 10.36 कि.मी., न्यू डीटी- 71, उपभोक्ता मीटर- 813, सौर पैनल- 5 केडब्ल्यूपी
7		पलवल	18.37	11.02	3.76	सब-स्टेशन की क्षमता में वृद्धि: 2, एचटी लाइन- 11.66 कि.मी., एबी केबल- 16.80 कि.मी., न्यू डीटी- 160
8		रेवाड़ी	7.75	4.65	2.62	न्यू सब-स्टेशन- 1 (12.5 एमवीए), एचटी लाइन- 4.60 कि.मी., एबी केबल- 15.11 कि.मी., न्यू डीटी- 21, उपभोक्ता मीटर-458, सौर पैनल- 2 केडब्ल्यूपी
9		सिरसा	5.47	3.28	2.95	एचटी लाइन- 4.50 कि.मी., एबी केबल- 64 कि.मी., न्यू डीटी- 38, उपभोक्ता मीटर- 114, सौर पैनल-2 केडब्ल्यूपी
कुल - डीएचबीवीएनएल		09	309.80	185.87	137.20	
कुल योग हरियाणा (यूएचबीवीएनएल +डीएचबीवीएनएल)		18	397.64	238.56	176.47	

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त, प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना (जीआईएस एस/एस सहित) के अंतर्गत हरियाणा डिस्कॉम्स को संस्वीकृत कुल पीएमए लागत 1.99 करोड़ रुपये और 1.52 करोड़ रुपये संवितरित।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

करनाल संसदीय क्षेत्र (करनाल और पानीपत सर्किल) के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

सर्किल	संस्वीकृत लागत	भारत सरकार से संस्वीकृत अनुदान (परियोजना लागत का 60%)	भारत सरकार द्वारा संवितरित अनुदान	पूरा होने की तिथि
करनाल	30.48	18.29	13.66	मार्च-2021
पानीपत*	12.44	7.5	3.39	मार्च-2019*
कुल	42.92	25.79	17.05	

* पानीपत सर्किल के प्रणाली सुदृढीकरण का कार्य मार्च - 2019 में पूर्ण कर लिया गया है। जीआईएस-सबस्टेशन कार्य प्रगति पर हैं।

करनाल संसदीय क्षेत्र (करनाल और पानीपत सर्किल) के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों की वास्तविक प्रगति निम्नलिखित है:

लक्ष्य का नाम	यूनिट	पूर्ण मात्रा
न्यू सब-स्टेशन (जीआईएस)	संख्या	1
एचटी लाइन्स (न्यू + संवर्धन)	सीकेएम	91.81
एलटी लाइन्स (न्यू + संवर्धन)	सीकेएम	2
न्यू डीटी की संस्थापना	संख्या	85
सौर पैनल्स	केडब्ल्यूपी	55
बे एक्सटेंशन	संख्या	1
एबी केबल	कि.मी.	104.01
यूजी केबल	कि.मी.	32.58

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2817

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

चल रही विद्युत परियोजनाएं

2817. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु राज्य में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) केंद्र सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के तहत बिजली की 24X7 सुनिश्चित आपूर्ति और शहरी और ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : उत्पादन एक लाइसेंसरहित गतिविधि है। तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है। यह देखा जाएगा कि प्रचालनरत विद्युत परियोजनाएं राज्य/निजी क्षेत्रों में हैं तथा यह राज्य सरकार/निजी प्रमोटर्स पर है कि वे उन्हें पूर्ण करने/बंद करने के लिए उचित कदम उठाएं।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति/वितरण और इससे संबंधित प्रकार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करने और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता की है।

तमिलनाडु राज्य ने पहले ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100% घरों का विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया था; तदनुसार, सौभाग्य स्कीम के तहत इस राज्य के लिए कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई है। तमिलनाडु राज्य ने जून, 2021 माह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने की सूचना दी है।

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2817 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन ताप तथा जल-विद्युत विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित ट्रायल रन (परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिया गया)
थर्मल					
1	एन्नोर एक्सपेंशन एससीटीपीपी	राज्य	यू-1	660	प्रोजेक्ट रुका हुआ है। कमीशन अनिश्चित
2	एन्नोर एससीटीपीपी	राज्य	यू-1	660	मार्च-2023
			यू-2	660	अप्रैल-2023
3	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी चरण-III	राज्य	यू-1	800	जनवरी-2022
4	उप्पुर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	राज्य	यू-1	800	प्रोजेक्ट रुका हुआ है।
			यू-2	800	कमीशन अनिश्चित
5	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I	राज्य	यू-1	660	मई-2022
			यू-2	660	जुलाई-2022
6	तूतीकोरिन टीपीपी	निजी	यू-1	660	प्रोजेक्ट रुका हुआ है। कमीशन अनिश्चित
7	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-IV	निजी	यू-1	525	अगस्त-2021
हाइड्रो					
8	कुंडाह पम्पड स्टोरेज (फेज-I, II एवं III) 4x125 = 500 मेगावाट	राज्य	यू-1	125	अप्रैल-2023 (चालू होने की तारीख)
			यू-2	125	
			यू-3	125	
			यू-4	125	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2833

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

2833. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र (त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान लगाई गई लाइट) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त उपकरणों के चीन से आयात में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अंतर्गत उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 04.06.2020 को संशोधित आदेश के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 28.07.2020 और 17.09.2020 के आदेशों के द्वारा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्रय में वरीयता प्रदान की है।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लाइटिंग में आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का अनुमोदन किया है जो निवेशकों को आकर्षित करेगी तथा स्थानीय पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देगी।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) की एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सभी एलईडी उत्पादों को परीक्षण के बाद पंजीकरण करना होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2863

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

उपभोक्ताओं पर बोझ

2863. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आधारित बिजली उपभोक्ता अंतिम उपयोगकर्ताओं के रूप उच्च कीमत का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो खदान से थर्मल पावर स्टेशन तक और बिजली उत्पादन के बाद कोयले पर कितने कर लगाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिजली उत्पादन में 55 प्रतिशत लागत वाला कोयला जी.एस.टी. के तहत है लेकिन अंतिम उत्पाद के रूप में बिजली जीएसटी के तहत नहीं है और इस पर कई कर लगाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं पर बिजली शुल्क के रूप में कम बोझ डालने और बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर कर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वितरण लाइसेंसधारी कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों सहित विभिन्न स्रोतों से विद्युत की खरीद करते हैं। अंतिम उपयोगकर्ता (अर्थात् विद्युत उपभोक्ता) विभिन्न कारकों के आधार पर संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित खुदरा प्रशुल्क का भुगतान करते हैं, जिसमें वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की गई औसत विद्युत क्रय लागत प्रमुख कारकों में से एक है। औसत विद्युत क्रय लागत में कोयले सहित सभी स्रोतों से विद्युत की खरीद में वितरण कंपनियों द्वारा खर्च की गई लागत शामिल है, यदि इसका कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के साथ विद्युत क्रय करार है। अतः, वितरण लाइसेंसधारी के कोई विद्युत उपभोक्ता नहीं हैं, जो इस प्रकार केवल कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से ही विद्युत उपभोग करते हैं।

(ख) से (घ) : वर्तमान में, कोयले पर 5% की दर से जीएसटी और 400 रुपए/मीट्रिक टन की दर से जीएसटी मुआवजा उपकर लागू है। इसके साथ-साथ, राज्य सरकारें रॉयल्टी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) प्रभार, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) प्रभार और कुछ अन्य टैक्स/उगाही लेती हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। विद्युत क्षेत्र जीएसटी के दायरे से बाहर है। विद्युत की आपूर्ति और विद्युत पारेषण या वितरण यूटिलिटी द्वारा विद्युत के वितरण या वितरण की सेवाओं जैसी गतिविधियों को जीएसटी से छूट दी गई है। कई राज्य सरकारें विद्युत के वितरण पर अलग-अलग दरों पर कर और शुल्क लगाती हैं।

(ङ) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मानदंडों/अधिसूचनाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। वे अधिसूचनाएं, जो सीईआरसी द्वारा "कानून में परिवर्तन" की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, प्रशुल्क में पास-थ्रू की जाएंगी और इसका बोझ उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने और उपभोक्ताओं को विद्युत की लागत में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) सरकार ने मई, 2016 में अपने सबसे दक्ष संयंत्रों को अधिक कोयले के आबंटन के साथ-साथ परिवहन लागत में बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों में से केंद्रीय/राज्य उत्पादन कंपनियों द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी। राज्य अपने कोयले लिंकेज को बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए आईपीपी(यों) को भी हस्तांतरित कर सकते हैं और समतुल्य विद्युत प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) परिवहन लागत के अनुकूलन की दृष्टि से राज्य/केंद्रीय जेनकोस और आईपीपी(यों) के लिंकेज स्रोतों के युक्तिकरण की अनुमति दी गई है।
- (iii) सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हारनेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया)-2017 योजना शुरू की है, जिनमें लिंकेज नहीं है, इस प्रकार उत्पादकों को सस्ता कोयला प्राप्त करने में मदद मिलती है और परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी आती है।
- (iv) अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों के लिए मेरिट ऑर्डर प्रेषण प्रणाली लागू की गई है जिसके अंतर्गत अधिक दक्ष/कम लागत वाले संयंत्रों से विद्युत पहले प्रेषित की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2902

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

बिजली की खपत

2902. श्री विष्णु दयाल राम:

श्री उपेन्द्र सिंह रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश, आवश्यकता के अनुसार बिजली उत्पादन की मांग को पूरा करने में सक्षम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार द्वारा देश भर में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित/अनुमोदित की गई हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां। ऊर्जा की खपत वर्ष 2018-19 में 12,67,526 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 12,70,663 एमयू हो गया है। वर्तमान वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत की व्यस्ततम मांग वर्ष 2018-19 की 1,75,528 मेगावाट की तुलना में 2,00,570 मेगावाट हो गया है। वर्तमान वर्ष अर्थात् 2021-22 (जून, 2021 तक) और पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए देश में उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में बाराबंकी को आपूर्ति की गई विद्युत भी शामिल है।

(ख) : देश में विद्युत की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 384 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश के विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अब तक की अधिकतम व्यस्ततम विद्युत मांग 200.57 गीगावाट है जो दिनांक 07.07.2021 को अनुभव किया गया था।

(ग) : देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- i. देश में परंपरागत विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 2024-25 तक शुरू किया जाना है और निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसमें ताप विद्युत का 36,765 मेगावाट, जल विद्युत का 10,164.50 मेगावाट और नाभिकीय ऊर्जा का 4800 मेगावाट शामिल है।
- ii. भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर ऊर्जा से 1,00,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जल विद्युत से 5000 मेगावाट शामिल है।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक गैर लाइसेंसित गतिविधि है और विद्युत परियोजनाओं को संस्थापित करने से संबंधित निवेश का निर्णय संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा निवेश के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की नई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2902 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तथा चालू वर्ष 2021-22 (जून, 2021 तक) के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति के तुलनात्मक ब्यौरे

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2021-जून, 2021				अप्रैल, 2020- जून, 2020			
	ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	400	400	0	0.0	352	352	0	0.0
दिल्ली	7,856	7,854	1	0.0	7,303	7,302	1	0.0
हरियाणा	13,629	13,609	20	0.1	11,570	11,570	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,742	2,737	5	0.2	1,929	1,925	5	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	5,086	4,674	412	8.1	4,753	3,844	908	19.1
पंजाब	15,400	15,344	56	0.4	12,995	12,995	0	0.0
राजस्थान	20,448	20,418	30	0.1	18,762	18,742	20	0.1
उत्तर प्रदेश	32,788	32,457	331	1.0	30,411	30,123	288	0.9
उत्तराखंड	3,543	3,538	5	0.2	2,901	2,901	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	101,892	101,031	861	0.8	90,977	89,754	1,222	1.3
छत्तीसगढ़	7,872	7,870	2	0.0	6,770	6,770	0	0.0
गुजरात	30,721	30,721	0	0.0	25,270	25,270	0	0.0
मध्य प्रदेश	19,222	19,222	0	0.0	16,869	16,869	0	0.0
महाराष्ट्र	43,707	43,707	0	0.0	35,250	35,250	0	0.0
दमन और दीव	617	617	0	0.0	353	353	0	0.0
दादर नगर हवेली	1,591	1,591	0	0.0	680	680	0	0.0
गोवा	1,143	1,143	0	0.0	968	968	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	104,872	104,871	2	0.0	86,160	86,160	0	0.0
आंध्र प्रदेश	17,756	17,746	9	0.1	15,469	15,469	0	0.0
तेलंगाना	16,517	16,516	1	0.0	14,146	14,146	0	0.0
कर्नाटक	18,274	18,273	1	0.0	17,658	17,658	0	0.0
केरल	6,489	6,485	4	0.1	6,157	6,155	2	0.0
तमिलनाडु	28,615	28,614	1	0.0	24,892	24,892	0	0.0
पूदुचेरी	761	761	0	0.0	615	615	0	0.0
लक्षद्वीप#	15	15	0	0.0	15	15	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	88,412	88,395	17	0.0	78,937	78,935	2	0.0
बिहार	9,421	9,375	46	0.5	8,069	8,054	15	0.2
झारखंड	5,819	5,819	0	0.0	4,034	4,034	0	0.0
झारखंड	2,635	2,577	57	2.2	2,227	2,176	50	2.3
उड़ीसा	9,184	9,184	0	0.0	6,935	6,935	0	0.0
पश्चिम बंगाल	14,674	14,648	26	0.2	12,036	11,960	76	0.6
सिक्किम	136	136	0	0.0	124	124	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	87	81	6	6.7
पूर्वी क्षेत्र	41,869	41,739	129	0.3	33,426	33,285	141	0.4
अरुणाचल प्रदेश	188	188	1	0.3	135	133	2	1.3
असम	2,697	2,679	19	0.7	2,268	2,138	131	5.8
मणिपुर	227	226	1	0.4	208	206	2	0.9
मेघालय	490	477	13	2.7	419	412	7	1.7
मिजोरम	157	155	2	1.3	154	153	2	1.1
नागालैंड	206	205	1	0.3	192	190	1	0.7
त्रिपुरा##	407	407	0	0.1	361	359	2	0.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4,372	4,336	36	0.8	3,738	3,592	147	3.9
अखिल भारत	341,418	340,372	1,046	0.3	293,238	291,725	1,513	0.5

लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।

राज्य/ प्रणाली / क्षेत्र	अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021				अप्रैल, 2019 -मार्च, 2020			
	ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,523	1,523	0	0.0	1,732	1,732	0	0.0
दिल्ली	29,560	29,555	4	0.0	33,086	33,077	9	0.0
हरियाणा	53,161	53,108	53	0.1	54,505	54,492	13	0.0
हिमाचल प्रदेश	10,186	10,130	56	0.5	10,424	10,353	71	0.7
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	19,773	17,222	2,551	12.9	20,025	16,259	3,767	18.8
पंजाब	58,445	58,377	67	0.1	56,776	56,770	6	0.0
राजस्थान	85,311	85,205	106	0.1	81,281	81,222	58	0.1
उत्तर प्रदेश	124,367	123,383	984	0.8	122,549	121,004	1,545	1.3
उत्तराखंड	13,827	13,818	8	0.1	14,472	14,376	96	0.7
उत्तरी क्षेत्र	396,151	392,323	3,829	1.0	394,851	389,285	5,566	1.4
छत्तीसगढ़	30,472	30,449	22	0.1	30,111	30,107	4	0.0
गुजरात	111,622	111,622	0	0.0	113,940	113,939	1	0.0
मध्य प्रदेश	83,437	83,437	0	0.0	76,172	76,172	0	0.0
महाराष्ट्र	150,679	150,663	16	0.0	155,167	155,166	0	0.0
दमन और दीव	2,223	2,223	0	0.0	2,574	2,574	0	0.0
दादर नगर हवेली	5,497	5,497	0	0.0	6,528	6,528	0	0.0
गोवा	4,083	4,083	0	0.0	4,350	4,350	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	388,013	387,975	38	0.0	388,841	388,836	5	0.0
आंध्र प्रदेश	62,080	62,076	4	0.0	65,452	65,414	38	0.1
तेलंगाना	66,998	66,994	4	0.0	68,306	68,303	3	0.0
कर्नाटक	68,851	68,831	19	0.0	72,799	72,796	3	0.0
केरल	25,118	25,102	16	0.1	26,315	26,265	50	0.2
तमिलनाडु	101,194	101,189	5	0.0	108,816	108,812	4	0.0
पुदुचेरी	2,644	2,644	0	0.0	2,847	2,846	1	0.0
लक्षद्वीप#	56	56	0	0.0	46	46	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	326,885	326,836	48	0.0	344,535	344,436	99	0.0
बिहार	34,171	34,018	153	0.4	31,627	31,533	94	0.3
झीवीसी	21,368	21,368	0	0.0	22,429	22,427	2	0.0
झारखंड	9,953	9,675	278	2.8	8,941	8,872	69	0.8
उड़ीसा	29,848	29,848	0	0.0	29,692	29,692	0	0.0
पश्चिम बंगाल	51,644	51,543	100	0.2	52,948	52,824	124	0.2
सिक्किम	546	546	0	0.0	554	554	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	147,530	146,999	531	0.4	146,191	145,902	289	0.2
अरुणाचल प्रदेश	719	714	5	0.7	753	749	4	0.5
असम	10,192	9,815	377	3.7	9,804	9,288	516	5.3
मणिपुर	974	969	5	0.5	924	917	6	0.7
मेघालय	2,031	2,005	26	1.3	2,112	2,064	48	2.3
मिजोरम	728	723	4	0.6	647	643	4	0.7
नागालैंड	826	822	4	0.5	814	809	5	0.7
त्रिपुरा##	1,484	1,481	3	0.2	1,538	1,515	23	1.5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,955	16,531	424	2.5	16,591	15,984	607	3.7
अखिल भारत	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4	1,291,010	1,284,444	6,566	0.5

लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।

राज्य/ प्रणाली / क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020				अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019			
	ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
			(एमयू)	(%)			(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,732	1,732	0	0.0	1,571	1,571	0	0.0
दिल्ली	33,086	33,077	9	0.0	32,299	32,282	17	0.1
हरियाणा	54,505	54,492	13	0.0	53,665	53,665	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	10,424	10,353	71	0.7	9,850	9,618	232	2.4
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	20,025	16,259	3,767	18.8	18,988	15,616	3,372	17.8
पंजाब	56,776	56,770	6	0.0	55,328	55,315	13	0.0
राजस्थान	81,281	81,222	58	0.1	79,815	79,626	189	0.2
उत्तर प्रदेश	122,549	121,004	1,545	1.3	117,133	116,149	984	0.8
उत्तराखंड	14,472	14,376	96	0.7	13,845	13,753	92	0.7
उत्तरी क्षेत्र	394,851	389,285	5,566	1.4	382,493	377,595	4,898	1.3
छत्तीसगढ़	30,111	30,107	4	0.0	26,471	26,417	54	0.2
गुजरात	113,940	113,939	1	0.0	116,372	116,356	15	0.0
मध्य प्रदेश	76,172	76,172	0	0.0	76,056	76,054	2	0.0
महाराष्ट्र	155,167	155,166	0	0.0	158,295	158,157	137	0.1
दमन और दीव	2,574	2,574	0	0.0	2,558	2,558	0	0.0
दादर नगर हवेली	6,528	6,528	0	0.0	6,303	6,302	0	0.0
गोवा	4,350	4,350	0	0.0	4,295	4,292	3	0.1
पश्चिमी क्षेत्र	388,841	388,836	5	0.0	390,349	390,136	212	0.1
आंध्र प्रदेश	65,452	65,414	38	0.1	63,861	63,804	58	0.1
तेलंगाना	68,306	68,303	3	0.0	66,489	66,427	62	0.1
कर्नाटक	72,799	72,796	3	0.0	71,764	71,695	69	0.1
केरल	26,315	26,265	50	0.2	25,016	24,898	118	0.5
तमिलनाडु	108,816	108,812	4	0.0	109,482	109,380	102	0.1
पुदुचेरी	2,847	2,846	1	0.0	2,766	2,756	10	0.3
लक्षद्वीप#	46	46	0	0.0	46	46	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	344,535	344,436	99	0.0	339,377	338,960	417	0.1
बिहार	31,627	31,533	94	0.3	30,061	29,825	236	0.8
झारखंड	22,429	22,427	2	0.0	22,745	22,372	372	1.6
झारखंड	8,941	8,872	69	0.8	8,737	8,490	247	2.8
उड़ीसा	29,692	29,692	0	0.0	32,145	32,115	30	0.1
पश्चिम बंगाल	52,948	52,824	124	0.2	51,471	51,287	184	0.4
सिक्किम	554	554	0	0.0	527	527	0	0.1
अंडमान-निकोबार#	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	146,191	145,902	289	0.2	145,686	144,616	1,070	0.7
अरुणाचल प्रदेश	753	749	4	0.5	869	859	9	1.1
असम	9,804	9,288	516	5.3	9,566	9,238	328	3.4
मणिपुर	924	917	6	0.7	905	895	10	1.2
मेघालय	2,112	2,064	48	2.3	1,957	1,956	2	0.1
मिजोरम	647	643	4	0.7	643	635	8	1.2
नागालैंड	814	809	5	0.7	888	795	93	10.5
त्रिपुरा##	1,538	1,515	23	1.5	1,863	1,841	22	1.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,591	15,984	607	3.7	16,691	16,219	472	2.8
अखिल भारत	1,291,010	1,284,444	6,566	0.5	1,274,595	1,267,526	7,070	0.6

लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।

राज्य/ प्रणाली / क्षेत्र	अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019				अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018			
	ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा मांग	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,571	1,571	0	0.0	1,610	1,601	9	0.5
दिल्ली	32,299	32,282	17	0.1	31,826	31,806	19	0.1
हरियाणा	53,665	53,665	0	0.0	50,775	50,775	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,850	9,618	232	2.4	9,399	9,346	53	0.6
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	18,988	15,616	3,372	17.8	18,808	15,050	3,759	20.0
पंजाब	55,328	55,315	13	0.0	54,812	54,812	0	0.0
राजस्थान	79,815	79,626	189	0.2	71,194	70,603	591	0.8
उत्तर प्रदेश	117,133	116,149	984	0.8	120,052	118,303	1,749	1.5
उत्तराखंड	13,845	13,753	92	0.7	13,457	13,426	31	0.2
उत्तरी क्षेत्र	382,493	377,595	4,898	1.3	371,934	365,723	6,211	1.7
छत्तीसगढ़	26,471	26,417	54	0.2	25,916	25,832	84	0.3
गुजरात	116,372	116,356	15	0.0	109,984	109,973	12	0.0
मध्य प्रदेश	76,056	76,054	2	0.0	69,925	69,925	0	0.0
महाराष्ट्र	158,295	158,157	137	0.1	149,761	149,531	230	0.2
दमन और दीव	2,558	2,558	0	0.0	2,534	2,534	0	0.0
दादर नगर हवेली	6,303	6,302	0	0.0	6,168	6,168	0	0.0
गोवा	4,295	4,292	3	0.1	4,117	4,117	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	390,349	390,136	212	0.1	368,405	368,080	326	0.1
आंध्र प्रदेश	63,861	63,804	58	0.1	58,384	58,288	96	0.2
तेलंगाना	66,489	66,427	62	0.1	60,319	60,235	83	0.1
कर्नाटक	71,764	71,695	69	0.1	67,869	67,701	168	0.2
केरल	25,016	24,898	118	0.5	25,002	24,917	85	0.3
तमिलनाडु	109,482	109,380	102	0.1	106,006	105,839	166	0.2
पुदुचेरी	2,766	2,756	10	0.3	2,668	2,661	7	0.3
लक्षद्वीप#	46	46	0	0.0	47	47	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	339,377	338,960	417	0.1	320,248	319,642	606	0.2
बिहार	30,061	29,825	236	0.8	27,019	26,603	417	1.5
डीवीसी	22,745	22,372	372	1.6	21,549	21,373	176	0.8
झारखंड	8,737	8,490	247	2.8	7,907	7,753	154	1.9
उड़ीसा	32,145	32,115	30	0.1	28,802	28,706	96	0.3
पश्चिम बंगाल	51,471	51,287	184	0.4	50,760	50,569	191	0.4
सिक्किम	527	527	0	0.1	485	484	0	0.1
अंडमान-निकोबार#	346	323	23	6.7	328	299	29	8.9
पूर्वी क्षेत्र	145,686	144,616	1,070	0.7	136,522	135,489	1,034	0.8
अरुणाचल प्रदेश	869	859	9	1.1	799	788	10	1.3
असम	9,566	9,238	328	3.4	9,094	8,779	315	3.5
मणिपुर	905	895	10	1.2	874	827	46	5.3
मेघालय	1,957	1,956	2	0.1	1,557	1,553	3	0.2
मिजोरम	643	635	8	1.2	497	488	9	1.7
नागालैंड	888	795	93	10.5	794	774	20	2.5
त्रिपुरा##	1,863	1,841	22	1.2	2,602	2,553	49	1.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,691	16,219	472	2.8	16,216	15,763	453	2.8
अखिल भारत	1,274,595	1,267,526	7,070	0.6	1,213,326	1,204,697	8,629	0.7

लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य उपयोगिताओं/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2902 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केन्द्र सरकार द्वारा निवेश की मंजूरी दी गई परियोजनाएं।

जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट में
1.	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	पाकल डुल एचई परियोजना	1000
2.	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किरू एचई परियोजना	624
3.	सिक्किम	तीस्ता VI एचई परियोजना	500
4.	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग बहुद्देश्य परियोजना	2880*
5.	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रत्ले एचई परियोजना	850
6.	सिक्किम	रंगित IV एचई परियोजना	120
7.	उत्तराखंड	कोटेश्वर एचईपी	400
8.	उत्तराखंड	नैयतवार मोरी एचईपी	60
9.	हिमाचल प्रदेश	लुहरी एचईपी चरण-I	210
10.	हिमाचल प्रदेश	धौलासिध एचईपी	66

*निवेश मंजूरी सिर्फ निवेश पूर्व गतिविधियों के लिए ही दी गई थी।

तापीय परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट में
1.	बिहार	बक्सर ताप विद्युत परियोजना	2x660
2.	उत्तर प्रदेश	खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट	2x660

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2904

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट

2904. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट विकसित करने के लिए राज्यों में संपत्तियों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापन के लिए भूमि/परिसंपत्तियों का चयन चार्जिंग स्थानों की संस्थापना करने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता है। तेल विपणन कंपनियों ने अपने रिटेल आउटलेटों पर 452 वाहन चार्जिंग स्टेशन/बैटरी स्वैपिंग स्थापित किए हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2904 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए वाहन चार्जिंग स्टेशन/बैटरी स्वैपिंग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30.06.2021 की स्थिति के अनुसार रिटेल आउटलेटों पर वाहन चार्जिंग स्टेशन/ बैटरी स्वैपिंग की संख्या
आंध्र प्रदेश	4
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	7
बिहार	3
चंडीगढ़	6
दिल्ली	59
गोवा	7
गुजरात	10
हरियाणा	53
हिमाचल प्रदेश	7
झारखंड	7
कर्नाटक	47
केरल	32
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	23
मणिपुर	1
मेघालय	1
नागालैंड	2
ओडिशा	2
पुदुचेरी	1
पंजाब	11
राजस्थान	32
तमिलनाडु	21
तेलंगाना	62
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	28
उत्तराखंड	5
पश्चिम बंगाल	2
कुल	452

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2953

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

परिवारों को बिजली की आपूर्ति

2953. श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक किसान को बिजली की आपूर्ति के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य से छोटे गांवों, बस्तियों और छोटी बस्तियों में बिजली आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण संबंधित राज्य सरकारों और/या राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और 1 अप्रैल 2019 से कृषीय उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार सभी घरों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत वितरण स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता करता है।

सौभाग्य स्कीम के तहत, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 100% विद्युतीकरण की सूचना प्रदान की है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ से 31.03.2021 तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस स्कीम के तहत, पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किशतों में जारी की जाती है। डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस स्कीम के तहत, राज्यों को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2021 तक) के दौरान क्रमशः 27,327 करोड़ रुपये, 3,868 करोड़ रुपये और 15,902 करोड़ रुपये का कुल अनुदान दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

सौभाग्य स्कीम दिनांक 31.03.2019 को बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य ने 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार राज्य के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 100% विद्युतीकरण की सूचना प्रदान की है।

स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015-16 में औसतन 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 20.50 घंटे हो गई है; वहीं शहरी क्षेत्रों में, विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 22.23 घंटे हो गई है। जून, 2021 में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की औसत उपलब्धता 22.17 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.36 घंटे थी। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सहित ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-IV, अनुबंध-V** और **अनुबंध-VI** पर दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीवाई (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (30.06.2021 तक) के दौरान जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (30.06.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान	उपयोग किया गया कुल अनुदान
		जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान		
1	आंध्र प्रदेश	177	8	8	-	194	194
2	अरुणाचल प्रदेश	160	37	32	-	228	216
3	असम	1,082	661	416	-	2,159	1,932
4	बिहार	2,412	682	830	325	4,248	4,248
5	छत्तीसगढ़	79	58	54	-	191	168
6	गुजरात	181	-	13	-	193	193
7	हरियाणा	22	50	5	37	114	114
8	हिमाचल प्रदेश	15	40	37	-	92	71
9	जम्मू और कश्मीर	527	65	35	-	627	454
10	झारखंड	1,362	610	355	1	2,328	2,322
11	कर्नाटक	451	283	13	5	752	750
12	केरल	57	8	-	-	65	65
13	लद्दाख	15	24	-	-	39	23
14	मध्य प्रदेश	952	375	278	24	1,628	1,628
15	महाराष्ट्र	482	225	158	-	865	865
16	मणिपुर	41	46	50	-	136	116
17	मेघालय	155	165	61	-	380	359
18	मिजोरम	35	16	5	5	61	55
19	नागालैंड	55	24	11	-	90	72
20	ओडिशा	1,369	330	122	-	1,821	1,600
21	पंजाब	42	115	16	-	173	173
22	राजस्थान	1,246	273	116	1	1,637	1,635
23	सिक्किम	21	9	28	-	58	58
24	तमिलनाडु	244	56	-	-	300	300
25	तेलंगाना	61	74	-	1	136	136
26	त्रिपुरा	112	47	48	45	252	234
27	उत्तर प्रदेश	3,560	946	1,661	112	6,280	6,236
28	उत्तराखंड	270	269	5	-	543	503
29	पश्चिम बंगाल	1,281	261	149	23	1,714	1,684
30	गोवा	3	7	-	-	10	10
31	दादरा व नागर हवेली	1	-	-	-	1	1
32	पुदुचेरी	0	5	3	-	9	8
33	अंडमान निकोबार	-	-	2	-	2	2
	कुल अनुदान	16469	5767	4511	580	27327	26425

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (30.06.2021 तक) के दौरान जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (30.06.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान	उपयोग किया गया कुल अनुदान
		जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान	जारी किया गया अनुदान		
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	138.86	13.79	-	-	153	153
3	असम	402.71	120.92	118.45	-	642	536
4	बिहार	198.78	136.25	17.10	-	352	352
5	छत्तीसगढ़	219.00	32.01	42.06	-	293	293
6	गुजरात	-	-	-	-	-	-
7	हरियाणा	-	2.98	-	-	3	3
8	हिमाचल प्रदेश	0.82	2.89	-	-	4	4
9	जम्मू और कश्मीर	51.43	-	-	-	51	35
10	झारखंड	82.72	4.31	59.85	-	147	96
11	कर्नाटक	-	39.38	-	-	39	39
12	केरल	-	26.12	13.27	-	39	39
13	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	147.09	-	6.32	-	153	153
15	महाराष्ट्र	139.56	43.37	-	-	183	183
16	मणिपुर	34.86	33.04	12.13	-	80	80
17	मेघालय	97.84	87.79	1.26	0.11	187	187
18	मिजोरम	34.62	-	6.03	-	41	38
19	नागालैंड	34.29	-	-	-	34	34
20	ओडिशा	168.41	-	-	-	168	149
21	पंजाब	-	-	0.36	-	0	0
22	राजस्थान	102.94	76.40	100.97	-	280	280
23	सिक्किम	-	0.53	1.15	-	2	2
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	15.38	-	-	15	15
26	त्रिपुरा	236.67	8.11	0.27	14.74	260	245
27	उत्तर प्रदेश	522.61	25.76	52.31	-	601	600
28	उत्तराखंड	22.42	6.83	0.54	-	30	28
29	पश्चिम बंगाल	73.20	20.28	15.92	-	109	107
30	गोवा	-	-	-	-	-	-
31	दादरा व नागर हवेली	-	-	-	-	-	-
32	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
33	अंडमान निकोबार	-	-	-	-	-	-
	कुल अनुदान	2,709	696	448	15	3,868	3,654

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (30.06.2021 तक) के दौरान जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईपीडीएस					
		भारत सरकार द्वारा वितरित निधि 2018-2019	भारत सरकार द्वारा वितरित निधि 2019-2020	भारत सरकार द्वारा वितरित निधि 2020-2021	2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा वितरित निधि (30 जून, 21 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान	उपयोग किया गया कुल अनुदान
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	2	6	10	10
2	आंध्र प्रदेश	18	29	101	4	481	432
3	अरुणाचल	-	15	56	8	92	58
4	असम	-	273	75	8	509	497
5	बिहार	18	624	315	6	1,319	1,319
6	छत्तीसगढ़	1	23	169	22	284	194
7	दिल्ली	33	-	57	-	90	90
8	गोवा	0	11	13	0	27	20
9	गुजरात	120	112	84	-	650	624
10	हरियाणा	30	42	72	-	180	115
11	हिमाचल प्रदेश	21	60	18	10	120	109
12	जम्मू-कश्मीर/लद्दाख	-	58	228	9	333	286
13	झारखंड	160	-	75	-	367	295
14	कर्नाटक	350	49	91	28	717	694
15	केरल	0	19	225	4	356	352
16	महाराष्ट्र	81	740	110	5	1,294	1,225
17	मणिपुर	64	-	-	-	96	75
18	मेघालय	9	1	29	11	55	43
19	मिजोरम	3	5	5	-	25	20
20	मध्य प्रदेश	123	364	202	33	899	813
21	नागालैंड	8	74	-	3	95	92
22	ओडिशा	247	128	22	5	585	229
23	पुदुचेरी	4	-	5	-	9	9
24	पंजाब	20	120	42	5	236	196
25	राजस्थान	-	417	96	35	776	776
26	सिक्किम	9	15	-	15	41	24
27	तमिलनाडु	24	596	27	0	926	926
28	तेलंगाना	223	11	56	17	417	409
29	त्रिपुरा	6	24	85	-	129	129
30	उत्तर प्रदेश	1,008	111	303	0	2,774	2,661
31	उत्तराखंड	87	73	224	4	437	408
32	पश्चिम बंगाल	45	607	422	2	1,573	1,507
		2,713	4,600	3,210	241	15,902	14,637

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वर्ष-वार और राज्य-वार अवधि:

क्रम सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	22:07	23:58	23:38	23:55	23:40	23:54
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	22:44
3	असम	-	23:44	-	23:48	-	-
4	बिहार	21:13	-	21:51	23:08	21:53	23:23
5	छत्तीसगढ़	-	23:46	-	23:59	-	23:59
6	गोवा	-	-	-	22:45	-	23:44
7	गुजरात	23:47	23:57	23:07	23:57	23:44	23:57
8	हरियाणा	19:37	23:17	19:14	23:16	19:57	23:24
9	हिमाचल प्रदेश	15:49	-	15:39	23:51	15:50	23:51
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	21:59
11	झारखंड	-	-	-	23:33	-	-
12	कर्नाटक	17:38	23:56	17:13	23:50	19:11	23:51
13	केरल	21:13	24:00	21:58	23:59	21:00	23:55
14	मध्य प्रदेश	23:20	23:42	23:02	23:51	22:39	23:56
15	महाराष्ट्र	-	23:57	20:27	23:58	20:58	23:59
16	मेघालय	-	23:57	-	23:59	-	23:56
17	मिजोरम	-	23:44	-	23:40	-	23:48
18	नागालैंड	-	-	-	23:30	-	22:44
19	ओडिशा	20:08	-	20:01	23:39	21:16	23:51
20	पुदुचेरी	22:06	-	20:27	-	23:09	-
21	पंजाब	23:16	23:47	23:10	23:43	22:36	23:46
22	राजस्थान	21:18	23:55	21:18	23:53	21:22	23:59
23	तमिलनाडु	20:46	-	20:58	23:58	21:31	-
24	तेलंगाना	22:03	-	22:13	23:55	22:09	23:55
25	त्रिपुरा	19:41	24:00	19:33	24:00	19:33	23:59
26	उत्तर प्रदेश	19:06	23:09	17:02	23:34	16:26	23:45
27	उत्तराखंड	21:24	23:28	21:40	23:24	21:58	23:39
28	पश्चिम बंगाल	18:11	23:58	23:04	23:58	23:04	23:59
राष्ट्रीय औसत*		20:41	21:43	20:50	22:23	21:09	23:35
*औसत का परिकलन केवल उन राज्यों पर विचार करके किया जाता है, जिनके आंकड़े प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध हैं।							
केवल उन्हीं राज्यों की जानकारी उपलब्ध है जिनके फीडर एनपीपी पर ऑन-बोर्ड किए गए हैं।							
ब्लैक सेल से तात्पर्य राज्य के फीडरों से है जो या तो एनपीपी पर ऑन-बोर्ड नहीं हैं या उस अवधि के लिए सूचित नहीं किए गए हैं							

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मई, 2021 माह के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार औसत अवधि

क्रम सं.	भारत के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (घंटे:मिनट)
1	आंध्र प्रदेश	23.58
2	अरुणाचल प्रदेश*	20.00
3	असम	21.00
4	बिहार	22.14
5	छत्तीसगढ़	22.70
6	गोवा	24.00
7	गुजरात	24.00
8	हरियाणा	20.41
9	हिमाचल प्रदेश	24.00
10	झारखंड	19.62
11	कर्नाटक	20.26
12	केरल	24.00
13	मध्य प्रदेश	23.50
14	महाराष्ट्र	24.00
15	मणिपुर	21.05
16	मेघालय	22.38
17	मिजोरम	17.06
18	नागालैंड	21.00
19	ओडिशा	22.82
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम*	17.50
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश	17.43
27	उत्तराखंड	23.90
28	पश्चिम बंगाल	24.00
29	अंडमान और निकोबार*	22.40
30	चंडीगढ़	24.00
31	दादरा व नागर हवेली	24.00
32	जम्मू और कश्मीर	15.00
33	लद्दाख	23.00
34	नई दिल्ली	24.00
35	पुदुचेरी	24.00
36	लक्षद्वीप	24.00
	राष्ट्रीय औसत	22.17

टिप्पणी: *मई माह के लिए आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे, इसलिए पहले से उपलब्ध आंकड़ों को शामिल किया गया है।

अनुबंध-VI

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल माह के लिए 11 केवी शहरी फीडरों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार औसत घण्टे

क्रम सं.	राज्य का नाम	एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (घंटे:मिनट)
1	आंध्र प्रदेश	23:53
2	अरुणाचल प्रदेश	22:37
3	असम	23:39
4	बिहार	23:43
5	छत्तीसगढ़	23:51
6	गोवा	23:38
7	गुजरात	23:57
8	हरियाणा	23:41
9	हिमाचल प्रदेश	23:45
10	जम्मू एवं कश्मीर	22:36
11	कर्नाटक	23:50
12	केरल	23:55
13	मध्य प्रदेश	23:55
14	महाराष्ट्र	23:56
15	मणिपुर	23:33
16	मेघालय	23:55
17	मिजोरम	23:51
18	नागालैंड	22:27
19	ओडिशा	23:32
20	पंजाब	23:34
21	राजस्थान	23:52
22	तेलंगाना	23:54
23	त्रिपुरा	23:54
24	उत्तर प्रदेश	23:45
25	उत्तराखंड	23:33
26	पश्चिम बंगाल	23:50
	राष्ट्रीय औसत	23:36

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2978

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली

2978. श्री तपन कुमार गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास उन बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का कोई प्रावधान है, जो पिछली 'सभी के लिए बिजली' योजना में इसका लाभ नहीं उठा पाए थे; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत या सब्सिडी या रियायत प्रदान करना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है।

तथापि, भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I पर हैं

तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब शेष गैर-विद्युतीकृत घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करके घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की।

सौभाग्य योजना के तहत, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित बीपीएल परिवारों सहित सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2978 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के तहत बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	729553
2	अरुणाचल प्रदेश	8291
3	असम	782370
4	बिहार	3385597
5	छत्तीसगढ़	163551
6	गुजरात	5060
7	हरियाणा	5419
8	हिमाचल प्रदेश	43
9	जम्मू और कश्मीर	53666
10	झारखंड	675174
11	कर्नाटक	369626
12	केरल	136193
13	मध्य प्रदेश	1047133
14	महाराष्ट्र	386498
15	मणिपुर	48799
16	मेघालय	2639
17	मिजोरम	1915
18	नागालैंड	60701
19	ओडिशा	1629495
20	पंजाब	
21	राजस्थान	410604
22	सिक्किम	5271
23	तमिलनाडु	23496
24	तेलंगाना	539306
25	त्रिपुरा	82019
26	उत्तर प्रदेश	2127011
27	उत्तराखंड	7251
28	पश्चिम बंगाल	81939
29	दादरा और नगर हवेली	
30	पुदुचेरी	
	कुल	12768620

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2978 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य की शुरुआत से बीपीएल घरों सहित घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों के नाम	11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की सं.	01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की सं.	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कुल घर
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149
4	बिहार	32,59,041		32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791
6	गुजरात	41,317		41,317
7	हरियाणा	54,681		54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045		3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798
12	लद्दाख	10,456		10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839		1,99,839
17	मिजोरम	27,970		27,970
18	नागालैंड	1,32,507		1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444		24,52,444
20	पुदुचेरी	912		912
21	पंजाब	3,477		3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522
23	सिक्किम	14,900		14,900
24	तमिलनाडु	2,170		2,170
25	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751		2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2985

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

अधिशेष विद्युत उत्पादन

2985. श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बिजली की कोई कमी है और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उनमें कमी का प्रतिशत कितना है;
- (ग) देश भर में प्रभारित किए जा रहे हैं बिजली प्रशुल्क का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को पूरे देश में एक समान विद्युत प्रशुल्क लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने पूरे देश में एक समान विद्युत प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में वर्तमान संस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 384 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संस्थापित उत्पादन क्षमता का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। अभी तक की अधिकतम व्यस्ततम विद्युत मांग दिनांक 07.07.2021 को 200.6 गीगावाट थी।

वर्ष 2020-21 तथा वर्तमान वर्ष 2021-22 (अर्थात्, अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक) के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कमी की प्रतिशतता का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। विद्युत की ये कमियां वितरण कंपनियों द्वारा वितरण बाधाएं और विद्युत की कटौती के कारण हुई हैं।

(ग) से (ड) : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों (अनुमानित भार और खपत के आधार पर) के अनुमानित औसत टैरिफ का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

सरकार को देशभर में एक समान विद्युत टैरिफ लागू करने के लिए किसी एक राज्य से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत क्रय लागत, एटी एंड सी हानि, ओ एंड एम व्यय, उपभोक्ता मिश्रण जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो हर राज्य में अलग-अलग होता है। टैरिफ नीति पहले से ही टैरिफ निर्धारण दृष्टिकोण में एकरूपता प्रदान करती है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न उत्पादन कंपनियों के लिए विभिन्न टैरिफ दरें नियत करती है जो उनके पूंजीगत लागत, मूल ईंधन लागत, जीसीवी, दक्षता मानदंडों, स्टेशन ऊष्म दर, माध्यमिक तेल खपत, संयंत्र भार घटक, परिवर्तनीय वित्तीय और प्रचालनात्मक लागत, संयंत्र की प्रौद्योगिकी, संयंत्र की प्रचालन आयु आदि कारकों पर निर्भर करता है, ऐसी टैरिफ उन सभी वितरण कंपनियों के लिए एकसमान होगी जिसका कथित उत्पादन कंपनी के साथ हिस्सा/विद्युत क्रय करार हो।

सरकार विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। अधिकांश समय देश में सभी खरीदारों के लिए विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत के व्यापार के लिए एक समान दर होती है। विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत की खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2985 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता का राज्य-वार विवरण

क्षेत्र	संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र	96,837
राज्य क्षेत्र	1,03,876
निजी क्षेत्र	1,83,403
कुल	3,84,116

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2985 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (अर्थात्, अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कमी की प्रतिशतता का विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (अर्थात् अप्रैल, 2021- जून, 2021) के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति							
	अप्रैल, 2021 - जून, 2021				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)
चंडीगढ़	400	400	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
दिल्ली	7,856	7,854	1	0.0	29,560	29,555	4	0.0
हरियाणा	13,629	13,609	20	0.1	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	2,742	2,737	5	0.2	10,186	10,130	56	0.5
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	5,086	4,674	412	8.1	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	15,400	15,344	56	0.4	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	20,448	20,418	30	0.1	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	32,788	32,457	331	1.0	124,367	123,383	984	0.8
उत्तराखंड	3,543	3,538	5	0.2	13,827	13,818	8	0.1
उत्तरी क्षेत्र	101,892	101,031	861	0.8	396,151	392,323	3,829	1.0
छत्तीसगढ़	7,872	7,870	2	0.0	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	30,721	30,721	0	0.0	111,622	111,622	0	0.0
मध्य प्रदेश	19,222	19,222	0	0.0	83,437	83,437	0	0.0
महाराष्ट्र	43,707	43,707	0	0.0	150,679	150,663	16	0.0
दमन एवं दीव	617	617	0	0.0	2,223	2,223	0	0.0
दादरा नगर हवेली	1,591	1,591	0	0.0	5,497	5,497	0	0.0
गोवा	1,143	1,143	0	0.0	4,083	4,083	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	104,872	104,871	2	0.0	388,013	387,975	38	0.0
आंध्र प्रदेश	17,756	17,746	9	0.1	62,080	62,076	4	0.0
तेलंगाना	16,517	16,516	1	0.0	66,998	66,994	4	0.0
कर्नाटक	18,274	18,273	1	0.0	68,851	68,831	19	0.0
केरल	6,489	6,485	4	0.1	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	28,615	28,614	1	0.0	101,194	101,189	5	0.0
पुदुचेरी	761	761	0	0.0	2,644	2,644	0	0.0
लक्षद्वीप#	15	15	0	0.0	56	56	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	88,412	88,395	17	0.0	326,885	326,836	48	0.0
बिहार	9,421	9,375	46	0.5	34,171	34,018	153	0.4
झारखण्ड	2,635	2,577	57	2.2	9,953	9,675	278	2.8
ओडिशा	9,184	9,184	0	0.0	29,848	29,848	0	0.0
पश्चिम बंगाल	14,674	14,648	26	0.2	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	136	136	0	0.0	546	546	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	346	323	23	6.7
पूर्वी क्षेत्र	41,869	41,739	129	0.3	147,530	146,999	531	0.4
अरुणाचल प्रदेश	188	188	1	0.3	719	714	5	0.7
असम	2,697	2,679	19	0.7	10,192	9,815	377	3.7
मणिपुर	227	226	1	0.4	974	969	5	0.5
मेघालय	490	477	13	2.7	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	157	155	2	1.3	728	723	4	0.6
नागालैंड	206	205	1	0.3	826	822	4	0.5
त्रिपुरा*	407	407	0	0.1	1,484	1,481	3	0.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4,372	4,336	36	0.8	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारत	341,418	340,372	1,046	0.3	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4
# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।								
* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।								
टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है। एमयू और मेगावाट के आंकड़े निकटतम इकाई स्थान पर राउंड ऑफ किया गया है।								

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.08.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2985 के भाग (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों (अनुमानित भार और खपत पर आधारित) का अनुमानित औसत टैरिफ का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ (आर.एस.)	घरेलू			वाणिज्यिक			कृषि			
			1 केवी (100 केडब्ल्यूएच/माह)	4 केवी (400 केडब्ल्यूएच/माह)	10 केवी (1000 केडब्ल्यूएच/माह)	2 केडब्ल्यू (300 केडब्ल्यूएच/माह)	10 केडब्ल्यू (1500 केडब्ल्यूएच/माह)	30 केडब्ल्यू (4500 केडब्ल्यूएच/माह)	50 केडब्ल्यू (7500 केडब्ल्यूएच/माह)	2 एचपी (400 केडब्ल्यूएच/माह)	5 एचपी (1000 केडब्ल्यूएच/माह)	10 एचपी (2000 केडब्ल्यूएच/माह)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01.06.2019	225.00	541.25	663.50	816.67	1090.00	1163.33	1178.00	160.00	160.00	160.00
2	आंध्र प्रदेश	01.04.2019	208.50	491.63	679.50	901.83	1029.83	1057.28	1062.77	250.00#	250.00#	250.00#
3	अरुणाचल प्रदेश	01.06.2018	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	310.00	310.00	310.00
4	असम	01.04.2019	609.00	742.88	804.30	798.00	798.00	929.76	929.76	498.67	498.67	498.67
5	बिहार	01.04.2019	694.30	824.15	902.06	863.90	910.54	918.31	919.87	579.00	579.00	579.00
			686.35	आर		736.70	आर					
6	चंडीगढ़	01.06.2019	294.00	422.13	492.25	592.67	626.67	634.00	635.47	290.00	290.00	290.00
7	छत्तीसगढ़	01.04.2019	367.20	494.10	732.24	724.27	924.37	946.40	946.40	480.00	480.00	480.00
8	दादरा एवं नगर हवेली	01.06.2019	170.00	217.50	273.00	356.67	383.33	387.78	388.67	70.00	70.00	70.00
9	दमन एवं दीव	01.06.2019	145.00	183.75	220.50	310.00	334.00	338.00	338.80	65.00	65.00	65.00
10	दिल्ली (बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल)	01.08.2019	336.00	406.88	682.50	894.44	1186.11	1186.11	1186.11	206.46	206.46	206.46
11	दिल्ली (एनडीएमसी)	01.08.2019	336.00	406.88	682.50	894.44	894.44	894.44	894.44	206.46	206.46	206.46
12	गोवा	01.06.2019	185.00	266.25	358.50	490.00	551.33	563.89	566.33	167.50	167.50	167.50
13	गुजरात	01.05.2019	393.88	504.56	565.80	585.42	585.42	642.36	700.00	160.00	160.00	160.00
			325.19	आर	432.69	आर	493.96	आर				
14	हरियाणा	01.05.2019	370.00	546.25	720.00	645.00	715.00	776.67	776.67	10.00	10.00	10.00
15	हिमाचल प्रदेश	01.07.2019	478.95	504.06	538.43	597.60	560.16	670.00	670.00	431.75	416.90	411.95
16	जम्मू एवं कश्मीर	01.10.2016	191.40	293.98	353.21	401.50	627.73	627.73	627.73	80.85	80.85	80.85
17	झारखंड	01.04.2019	720.00	665.25	655.50	700.00	664.00	658.00	656.80	512.00	512.00	512.00
			615.00	आर	601.50	आर	600.00	आर	638.33	आर	631.67	आर
18	कर्नाटक	01.04.2019	568.69	790.10	856.64	992.87	1007.00	1009.36	1009.83	0.00	0.00	0.00
			527.35	एफ	737.36	एफ	797.39	एफ	932.80	एफ	946.93	एफ
19	केरल	08.07.2019	421.75	879.00	1019.00	860.67	1069.67	1116.33	1116.33	256.73	256.73	256.73
20	लक्षद्वीप	01.06.2019	155.00	417.50	578.00	791.67	918.33	939.44	943.67	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	17.08.2019	599.50	693.23	747.55	832.20	838.04	930.96	931.18	512.50	566.25	590.63
			577.70	आर	688.78	आर	743.08	आर	809.40	आर	815.08	आर
22	महाराष्ट्र	01.04.2019	606.68	953.23	1252.22	1186.77	1263.89	1639.67	1639.67	357.00	357.00	357.00
23	मणिपुर	01.04.2019	450.00	587.50	631.00	705.00	795.67	810.78	813.80	412.38	412.38	412.38
24	मेघालय	01.04.2018	425.00	537.50	590.00	769.33	801.33	806.67	807.73	343.30	343.30	343.30
25	मिजोरम	01.04.2019	360.00	497.50	535.00	534.17	576.17	583.17	584.57	288.65	288.65	288.65
26	नागालैंड	01.04.2019	513.00	615.75	666.30	809.00	893.80	907.93	910.76	310.00	310.00	310.00
27	ओडिशा	01.06.2019	374.40	496.60	566.80	637.87	718.29	731.70	734.38	153.00	153.00	153.00
28	पुद्दुचेरी	01.06.2019	190.00	358.75	479.50	668.33	709.67	716.56	717.93	22.50	22.50	22.50
29	पंजाब	01.06.2019	603.42	767.55	843.21	834.32	858.72	877.21	877.21	596.64	596.64	596.64
										डब्ल्यूएस	डब्ल्यूएस	डब्ल्यूएस
30	राजस्थान	01.02.2020	832.50	830.00	844.50	1021.67	1045.67	1155.22	1157.13	574.00	574.00	574.00
31	सिक्किम	01.04.2019	180.00	367.50	447.00	508.33	611.00	708.76	634.20	-	-	-
32	तमिलनाडु	11.08.2017	85.00	470.00	584.00	840.88	883.58	890.69	892.12	0.00	0.00	0.00
33	तेलंगाना	01.04.2018	238.50	668.50	821.00	911.00	1011.00	1034.33	1039.00	257.50#	253.00#	251.50#
34	त्रिपुरा	01.11.2014	521.50	755.00	755.00	691.50	768.33	768.33	768.33	366.19	366.19	477.38
35	उत्तर प्रदेश	12.09.2019	693.00	738.94	800.63	1042.75	1218.69	1248.31	1254.24	714.88	714.88	714.88
			446.25	आर	574.22	आर	659.14	आर	670.08	आर	670.08	आर
36	उत्तराखंड	01.04.2019	345.00	453.75	538.00	625.00	625.00	715.00	715.00	210.00	210.00	210.00
37	पश्चिम बंगाल	01.04.2017	630.89	843.94	941.92	880.79	1027.09	1044.80	1048.34	487.43	487.43	487.43
			617.07	आर	830.79	आर	936.66	आर	880.06	आर	1026.94	आर
38	टोरंट पावर लिमिटेड (अहमदाबाद)	01.05.2019	437.00	503.13	543.95	620.83	637.50	733.33	733.33	330.00	330.00	330.00
39	टोरंट पावर लिमिटेड (सूरत)	01.05.2019	422.63	475.09	469.49	627.08	627.08	749.77	749.77	70.00	70.00	70.00
40	सीईएससी लिमिटेड (कोलकाता)	01.04.2017	584.32	820.55	927.94	850.72	1019.47	1041.15	1045.49	-	-	-
41	डीपीएससी लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	01.04.2017	452.21	599.83	638.35	591.53	665.77	660.36	660.36	249.95^	249.95^	249.95^
42	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	01.04.2016	425.42	530.04	552.36	549.29	599.90	604.17	605.02	179.29^	179.29^	179.29^
43	डी.वी.सी. (ए) झारखंड एरिया	01.09.2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(बी) पश्चिम बंगाल एरिया	01.04.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	मुंबई (बीईएसटी)	01.09.2019	431.32	657.81	899.61	966.23	848.45	1091.17	1091.17	418.00	418.00	418.00
45	मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	01.04.2019	644.76	906.92	1114.56	1231.22	1113.44	1370.68	1370.68	525.00	525.00	525.00
46	मुंबई (टाटा)	01.04.2019	618.08	975.94	1398.99	1358.27	1240.49	1203.70	1203.70	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/प्रतिष्ठान का नाम	से प्रभावी तैरिफ	लघु उद्योग 10 केडब्ल्यू (1500 केडब्ल्यूएच/माह)	मध्यम उद्योग 50 केडब्ल्यू (7500 केडब्ल्यूएच/माह)	बृहत् उद्योग (11 केवी) 1000 केडब्ल्यू 60% एल.एफ. (438000 केडब्ल्यूएच/माह)	भारी उद्योग (11 केवी) 10000केडब्ल्यू 60% एल.एफ. (4380000 केडब्ल्यूएच/माह)	भारी उद्योग (33 केवी) 20000 केडब्ल्यू 60% एल.एफ. (8760000 केडब्ल्यूएच/माह)	रेलवे ट्रेक्शन 12500 केडब्ल्यू (250000000 केडब्ल्यूएच/माह)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01.06.2019	733.33	786.67	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	01.04.2019	726.00	726.00	783.31	783.31	735.94	578.95
3	अरुणाचल प्रदेश	01.06.2018	430.00	430.00	385.00	385.00	350.00	-
4	असम	01.04.2019	602.00	787.29	761.86	761.86	761.86	862.54
			568.75	आर				
5	बिहार	01.04.2019	878.62	906.89	863.89	-	852.11	132 केवी पर 965.78
6	चंडीगढ़	01.06.2019	511.00	614.33	556.66	556.66	556.66	-
7	छत्तीसगढ़	01.04.2019	557.92	648.27	1001.21	1001.21	954.54	661.11
8	झारखण्ड एवं नगर हवेली	01.06.2019	403.94	454.68	500.68	500.68	-	-
9	झारखण्ड एवं दीव	01.06.2019	366.79	366.79	460.88	460.88	-	-
10	दिल्ली (बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल)	01.08.2019	1098.61	1098.61	943.63	943.63	934.59	835.66
11	दिल्ली (एनडीएमसी)	01.08.2019	1098.61	1098.61	943.63	943.63	934.59	835.66
12	गोवा	01.06.2019	464.61	477.94	583.42	583.42	583.42	-
13	गुजरात	01.05.2019	579.33	588.46	550.68	625.98	629.53	600.00
14	हरियाणा	01.05.2019	645.00	756.67	620.91	620.91	612.41	660.87
15	हिमाचल प्रदेश	01.07.2019	494.02	642.00	649.13	649.13	637.67	826.33
16	जम्मू एवं कश्मीर	01.10.2016	399.67	397.47	422.10	422.10	410.45	-
17	झारखंड	01.04.2019	759.90	759.90	746.07	746.07	731.25	867.94
18	कर्नाटक	01.04.2019	747.60	860.13	836.30	842.83	843.19	786.76
			696.93	एफ	807.06	एफ	814.83	एफ
19	केरल	08.07.2019	629.50	758.43	671.25	671.25	671.25	676.67
20	लक्षद्वीप	01.06.2019	687.04	687.04	958.05	958.05	-	-
21	मध्य प्रदेश	17.08.2019	951.93	951.93	789.19	789.19	841.87	762.22
			868.37	आर	868.37	आर		132/220 केवी पर
22	महाराष्ट्र	01.04.2019	706.81	1009.99	973.27	973.27	906.60	917.22
					1002.78	सी	1002.78	सी
23	मणिपुर	01.04.2019	453.33	662.96	758.70	758.70	-	-
24	मेघालय	01.04.2018	678.33	678.33	787.22	787.08	742.63	-
25	मिजोरम	01.04.2019	508.00	522.93	554.10	554.10	-	-
26	नागालैंड	01.04.2019	623.33	665.67	719.07	719.91	-	-
27	ओडिशा	01.06.2019	598.50	615.60	669.21	669.21	644.81	665.88
28	पुद्दुचेरी	01.06.2019	588.00	581.60	636.47	-	636.47	-
29	पंजाब	01.06.2019	741.20	828.67	809.04	825.35	825.35	1006.96
30	राजस्थान	01.02.2020	793.30	867.77	763.49	-	818.62	832.78
31	सिक्किम	01.04.2019	621.67	556.86	700.42	700.42	-	-
			460.00	आर				
32	तमिलनाडु	11.08.2017	685.13	685.13	759.98	759.98	759.98	801.67
33	तेलंगाना	01.04.2018	721.00	731.00	800.11	799.77	747.12	631.65
34	त्रिपुरा	01.11.2014	740.00	764.00	-	-	-	-
35	उत्तर प्रदेश	12.09.2019	1003.33	1057.08	984.56	984.56	943.74	1270.59
			928.08	आर	977.80	आर	910.72	आर
36	उत्तराखण्ड	01.04.2019	551.67	604.31	658.46	658.46	658.46	1235.29
37	पश्चिम बंगाल	01.04.2017	758.88	895.17	937.72	937.72	931.97	913.00
			739.06	आर	867.79	आर		132केवी पर
38	टोरंट पावर लिमिटेड (अहमदाबाद)	01.05.2019	561.00	645.33	578.55	578.55	-	-
39	टोरंट पावर लिमिटेड (सुरत)	01.05.2019	529.83	659.80	623.65	623.64	-	-
40	सीईएससी लिमिटेड (कोलकाता)	01.04.2017	750.00	889.17	853.77	853.77	826.17	746.33
41	डीपीएससी लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	01.04.2017	520.59	627.25	635.27	635.27	460.47	669.33
42	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	01.04.2016	533.38	588.72	592.45	592.45	574.05	647.78
								25केवी पर
43	डी.वी.सी. (ए) झारखंड एरिया	01.09.2014	-	-	-	-	520.13	642.78
	(बी) पश्चिम बंगाल एरिया	01.04.2016	-	-	-	-	616.56	132केवी पर
44	मुंबई (बीईएसटी)	01.09.2019	726.11	943.17	876.99	876.99	-	481.18
								132केवी पर
45	मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	01.04.2019	980.78	1228.45	1122.91	1122.91	-	100 /33/ 22/11/6.6 केवी
46	मुंबई (टाटा)	01.04.2019	1104.29	1109.31	1097.77	1097.77	-	पर
								737.44
								33/22केवी पर

पश्चिम बंगाल में क्रमशः डीपीएससी लिमिटेड और दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स के लिए 23:00 बजे से 06:00 बजे तक से टीओडी तैरिफ

टिप्पणी: विद्युत शुल्क वर्ष 2018-19 का हो।

अधिसूचित तैरिफों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग मानदंड है। उपरोक्त तुलना कुछ निश्चित भार तथा एम माह में विद्युत खपत की स्तरों पर आधारित है।

ख : सामान्य उद्योग ग: समयानुकूल उद्योग घ: बंगलोर, देवनागिरी और अन्य शहरी निगम च : ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र यू : शहरी आर : ग्रामीण ओ : अन्य क्षेत्र

डब्ल्यूएस: सब्सिडी रहित

कॉर्पोरेट किसानों के लिए

अधिसूचित तैरिफों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग मानदंड हो। उपरोक्त तुलना कुछ निश्चित भार तथा एम माह में विद्युत खपत की स्तरों पर आधारित है।
